स्वस्थ चेतना का वाहक

सहयोग राशि
30/-₹

जुलाई 2026

क्रान्ति

मासिक

आबादी : लाभांश या बोझ ?

- जनसंख्या : संकट, संसाधन और सियासत
- 21वीं सदी का जनसांख्यिकीय भूकंप
- जनसंख्या विस्फोट का मिथक




हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं कि
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने कहा :
"तक़दीर को कोई चीज़ नहीं फेर सकती
सिवाय दुआ के, और आयु को कोई चीज़
बढ़ा नहीं सकती सिवाय नेकी के, और
निश्चय ही आदमी गुनाह की
शामत से कभी रोज़ी
से भी वंचित
हो जाता है।"
(हदीस : इब्ने माजा)
Jamaat-E-Islami Hind
Jhansi (U.P.)

प्रधान संपादक
डॉ. फ़रहत हुसैन
kantieditorial@gmail\com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
पांच वर्ष 1500/- रु॰ आजीवन रु॰ 5000/
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
9818799223

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025
चेक / ड्राफ़्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत
ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
Printer : Akhilesh Singh
Press : AARYA PRINTERS
201, Ground Floor, DSIDC Complex
Okhla Industrial Area phase-1,
New Delhi-110020
Editor : Shibli Arsalan

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

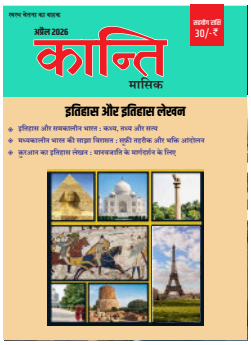
विचार सौरभ **डॉ. कौसर यज़दानी नदवी**

तल्लीनता

प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो को कौन नहीं जानता उन्हीं गैलीलियो की एक घटना है।
एक दिन
उनके एक घनिष्ठ मित्र उनके पास आए।
गैलीलियो ने सम्मान सहित
उन्हें अपने पास अपने कमरे में बिठा दिया।
कुशल-क्षेम के बाद फिर वह अपने काम में लग गए।
इतने तल्लीन हुए कि यह भूल गए, उनके मित्र उनके पास बैठे हैं।
कुछ देर बाद मां आई।
वह गैलीलियो और उनके मित्र का खाना लिए हुए थीं।
मां ने खाना मेज़ पर रख दिया
फिर 'खाना रखा है' बताकर चली गई
गैलीलियो की तल्लीनता देखकर
मित्र ने सोचा,
गैलीलियो की एकाग्रता भंग न की जाए, तो बेहतर है
इसलिए उन्होंने अकेले ही खाना खा लिया।
बाक़ी खाना अलग ढक कर रख दिया।
कुछ देर बाद
जब गैलीलियो का काम समाप्त हो गया,
वह खाने की मेज़ पर आए
ख़ाली थाली देखी,
(वह थाली, जिसमें उनके मित्र ने खाना खाया था)
देखकर बोले,
'अरे, मैं कैसा मूर्ख !
मुझे इतना भी याद न रहा कि मैं खाना खा चुका हूं?'
यह सुन मित्र ने तुरन्त दूसरी थाली बढ़ा दी।
यह थी वह तल्लीनता, जिसने गैलीलियो को
एक महान सफल वैज्ञानिक बना दिया।
लगन, निष्ठा, त्याग और दायित्व-भाव
यही गुण हैं जो मनुष्य को अपने कामों में लगाए रखते हैं।
लेकिन अगर वह तल्लीनता प्रभु को प्रसन्न करने वाले कार्यों में हो,
तो उसे दोहरी सफलता मिलती है,
यहां की भी, वहां की भी,
आइए हम सब अपने को इस दोहरी सफलता का हक़दार बनाएं।

(प्रथम प्रकाशन : जनवरी 1998)

वर्ष 36 अंक 01 जुलाई 2026





स्वस्थ चेतना का वाहक

कान्ति
मासिक

इस अंक में

- तल्लीनता (विचार सौरभ) – डॉ. कौसर यज़दानी नदवी 3
- भारत की आबादी : लाभांश या बोझ? (संपादकीय) –डॉ. फ़रहत हुसैन 5
- मार्गदर्शन –संपादन प्रभाग 6
- जो जागत है, सो पावत है –आयशा सुल्ताना 7
- साझी विरासत की ज़िंदा तस्वीर –मुहम्मद अतहरुल्लाह शरीफ़ 9
- जनसंख्या : संकट, संसाधन और सियासत? –सुफ़ियान अहमद 11
- जनसंख्या विस्फोट का मिथक –डॉ. मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी 13
- समस्या, जनसंख्या या संसाधनों का असमान वितरण ? –नदीम उद्दीन एडवोकेट 17
- 21वीं सदी का जनसांख्यिकीय भूकंप –अज़का हयात 19
- जनसंख्या और भय की राजनीति – संपादन प्रभाग 23
- मूल प्रश्न : आबादी, अभाव या अन्याय ? –एफ़. ए. मुजीब 25
- आजीविका का संतुलन एक परम सत्ता के अधीन –संपादन प्रभाग 27
- विश्व घटनाचक्र –संपादन प्रभाग 29
- क्या आर्थिक विकास से सभी को लाभ होता है? –डॉ. जावेद आलम ख़ान 33
- चीन में बैठे भारतीय डॉक्टर ने हैदराबाद के मरीज़ की रोबोटिक सर्जरी की –संपादन प्रभाग 35
- गुरुजी –सय्यदा असमा 37
- उजाले अपनी यादों के... (साहित्य) –बशीर बद्र 38
- बाल लेखिका की क़लम से निकलीं जीवन-मूल्यों की कहानियां –संपादन प्रभाग 39
- मनुष्य एक-दूसरे के पूरक –एस. कौसर लईक़ 41
- अदालत के बाहर भी वकालत के मौक़े –संपादन प्रभाग 43
- इमाम हुसैन (रज़ि.) की शहादत –डॉ. मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी 45
- मक्का से पलायन –मुशर्रफ़ अली 47
- हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) सबके शुभचिन्तक – संपादन प्रभाग 50

संपादकीय



डॉ. फ़रहत हुसैन

भारत की आबादी : लाभांश या बोझ?

भारत में जनसंख्या को नियंत्रित रखने के प्रयासों के बीच 2023 में देश के सिक्किम राज्य में सरकार द्वारा आबादी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन स्कीमों की घोषणा ने तस्वीर के दूसरे पहलू पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सिक्किम राज्य की प्रजनन दर (1.05) प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से आधी है। अभी हाल ही में एक अन्य राज्य, आंध्र प्रदेश ने भी परिवार में तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहित करने की योजना प्रस्तुत की है। आधिकारिक आकलन के अनुसार भारत की औसत प्रजनन दर (fertility rate) 1.9 है, जो प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) 2.1 से कम है। इसका अर्थ है कि भारत की आबादी में कुछ वर्षों में गिरावट देखी जा सकती है तथा वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ सकती है।

यह भी सत्य है कि भारत आज विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। बड़ी आबादी को लेकर समाज में दो प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं। एक वर्ग इसे विकास में बाधा और संसाधनों पर बढ़ते दबाव का कारण मानता है, जबकि अन्य इसे भारत की सबसे बड़ी शक्ति और "जनसांख्यिकीय लाभांश" के रूप में देखते हैं। "जनसांख्यिकीय लाभांश" (Demographic Dividend) से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें किसी देश की आबादी में कार्यशील आयु वर्ग अर्थात 15 से 64 वर्ष के लोगों की संख्या अधिक होती है। भारत की लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्या युवा है। यह स्थिति भारत को विश्व की सबसे बड़ी कार्यशक्ति (work force) प्रदान करती है। साथ ही हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से भी मालामाल है। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसर मिलें, तो वे देश की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, सेवा क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारतीय युवाओं की भूमिका इसके उदाहरण हैं। आज विश्व की अनेक संस्थाएं भारत को "युवा प्रतिभा का केंद्र" मानती हैं।

इसके अतिरिक्त, बड़ी आबादी देश के लिए विशाल उपभोक्ता बाज़ार भी उपलब्ध कराती है। बढ़ती मांग के कारण उद्योगों और सेवाओं का विस्तार होता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। भारत में मोबाइल, इंटरनेट, ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान के तीव्र विकास के पीछे बड़ी आबादी और युवा उपभोक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि, यदि जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास न हो, तो यही आबादी बोझ बन सकती है। भारत में बेरोज़गारी, ग़रीबी, कुपोषण और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन के कारण महानगरों में भीड़, प्रदूषण, यातायात और झुग्गी-बस्तियों की समस्या गंभीर होती जा रही है। सीमित भूमि और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ने से पर्यावरणीय संकट भी उत्पन्न हो रहा है।

शिक्षा और कौशल विकास की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। बड़ी संख्या में युवा आज भी अच्छी शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण से वंचित हैं। परिणामस्वरूप, वे आधुनिक उद्योगों के मानकों पर पूरे नहीं उतर पाते। यदि युवा बेरोज़गार और असंतुष्ट रहेंगे, तो सामाजिक असमानता, अपराध और अशांति बढ़ सकती है। इसलिए केवल युवा आबादी होना ही पर्याप्त नहीं है; उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना भी ज़रूरी है। भारत सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं, जैसे "स्किल इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया" और "मेक इन इंडिया" आदि।

वास्तविकता यह है कि भारत की विशाल जनसंख्या एक अवसर भी है और चुनौती भी। आवश्यकता इस बात की है कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पर ध्यान दिया जाए। युवक तथा युवतियों में नैतिक तथा आध्यात्मिक रूप से विकास हो और वे अधिक परिश्रमी,अनुशासित, ईमानदार हों; देश में राजनीतिक, सामाजिक तथा क़ानून व्यवस्था की स्थिति भी अनुकूल हो, तो यही जनसंख्या भारत को अधिक शक्तिशाली तथा विश्व पटल पर अग्रणी अर्थव्यवस्था बना सकती है।

विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर इस अंक में जनसंख्या से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर अलग-अलग दृष्टिकोणों से प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ■■

क़ुरआन



–संपादन प्रभाग

स्रष्टा तथा पालनहार की बन्दगी

"ऐ लोगो ! बन्दगी करो अपने उस रब (पालनहार) की जो तुम्हारा और तुमसे पहले के लोगों का स्रष्टा है, तुम्हारे बचने की उम्मीद इसी प्रकार हो सकती है। वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती को बिछौना तथा आकाश को छत बनाया और आकाश से वर्षा की, फिर उसने विभिन्न प्रकार की पैदावार तथा फल तुम्हारी जीविका हेतु पैदा किए। अतः जब तुम जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का समकक्ष न ठहराओ।" (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयतें-21, 22)

व्याख्या : क़ुरआन का यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंश है। इसमें मनुष्यों को प्रत्यक्षतः सम्बोधित करते हुए उन्हें अपने पालनहार की दासता स्वीकार करने, उसी को अपना वास्तविक उपास्य बनाने का आदेश दिया गया है; इस दलील के साथ कि बन्दगी और ग़ुलामी के योग्य ईश्वर इसलिए है कि वह तुम्हारा और तुमसे पूर्व के लोगों का रचयिता है। उसी ने इन्सानों के रहने-बसने, खाने-पीने आदि सभी आवश्यकताओं का समुचित प्रबन्ध किया। जब ये सारे उपकार वही हस्ती कर रही है तो फिर किसी दूसरे को उसका समकक्ष ठहराना बहुत बड़ी नादानी है।

वास्तविकता यह है कि सम्पूर्ण सृष्टि का स्रष्टा, स्वामी, शासक और प्रबन्धक एक अकेला अल्लाह है। हर चीज़ को अस्तित्व में बने रहने के लिए जिस ऊर्जा की जितनी मात्रा में आवश्यकता है वह अल्लाह द्वारा ही प्रदान की जा रही है। वही अकेला मनुष्य का वास्तविक उपास्य है। भक्ति, उपासना और बन्दगी में किसी और को शरीक करना न तो विवेकपूर्ण है और न ही न्यायसंगत। आज्ञापालन उसी का होना चाहिए। मार्गदर्शन उसी का स्वीकार्य हो, अपनी मनोकामना उसी के समक्ष प्रस्तुत की जाए, शुक्रगुज़ारी और कृतज्ञता का वही अधिकारी है।

.....

हदीस

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया : "अल्लाह इस बात का अधिकार रखता है कि लोग केवल उसी की उपासना करें और इसमें किसी और को तनिक भी उसका साझी न बनाएं।"

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

■■

जो जागत है, सो पावत है

❖आयशा सुल्ताना

सूर्योदय से ठीक पहले का वक़्त अजीब होता है। रात पूरी तरह गई भी नहीं होती और सुबह पूरी तरह आई भी नहीं होती। चारों तरफ़ एक ख़ामोशी पसरी रहती है, लेकिन उसी ख़ामोशी के भीतर एक बदलाव की हलचल भी चल रही होती है। पेड़ स्थिर दिखाई देते हैं, पर उनके पत्तों पर ओस होती है। आसमान शांत लगता है, पर उसके भीतर उजाले की तैयारी हो रही होती है। शायद इंसान का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। बाहर से सब सामान्य दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर लगातार कुछ टूटता, बनता और बदलता रहता है। जीवन का हर बड़ा परिवर्तन पहले चेतना में जन्म लेता है, फिर व्यवहार में दिखाई देता है।

हर सुबह अपने साथ एक नई संभावना लेकर आती है। यह वह क्षण होता है जब मन अपेक्षाकृत शांत होता है, इंद्रियां केंद्रित होती हैं और मनुष्य अपने लक्ष्य को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करता है। इसलिए जाग जाने को केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक नयी मानसिक और आत्मिक शुरुआत माना गया है। जो व्यक्ति सुबह अपने विचारों को दिशा दे लेता है, उसका दिन भी दिशाहीन नहीं भटकता।

हर सुबह अपने साथ एक नई संभावना लेकर आती है। यह वह क्षण होता है जब मन अपेक्षाकृत शांत होता है, इंद्रियां केंद्रित होती हैं और मनुष्य अपने लक्ष्य को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करता है। इसलिए जाग जाने को केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक नयी मानसिक और आत्मिक शुरुआत माना गया है। जो व्यक्ति सुबह अपने विचारों को दिशा दे लेता है, उसका दिन भी दिशाहीन नहीं भटकता।

लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग केवल शरीर से जागते हैं, भीतर से नहीं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, लौटते हैं, खाते हैं और फिर सो जाते हैं। जीवन धीरे-धीरे आदत में बदल जाता है। वे समय बिताते हैं, जीवन नहीं जीते। असली जागना तब शुरू होता है जब इंसान अपने भीतर की आवाज़ सुनना शुरू करता है। जब वह स्वयं से पूछता है—मैं किस दिशा में जा रहा हूं? जो कर रहा हूं, उसका अर्थ क्या है? मेरे होने का उद्देश्य क्या है?

बहुत से लोग सुविधाओं से घिरे होते हैं, लेकिन भीतर से ख़ाली रहते हैं। उनके पास व्यस्तता होती है, उद्देश्य नहीं। वे लगातार भाग रहे होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि जाना कहां है। यही कारण है कि बाहरी सफलता के बावजूद भीतर बेचैनी बनी रहती है।

सुबह का महत्व केवल इसलिए नहीं कि वह दिन की शुरुआत है, बल्कि इसलिए कि वह मनुष्य को एक और अवसर देता है। एक और दिन। एक और मौक़ा। कल की ग़लतियों को सुधारने का, किसी अधूरे काम को शुरू करने का, किसी टूटे रिश्ते को जोड़ने का और शायद स्वयं को फिर से पहचानने का। हर सुबह यह संदेश लेकर आती है कि अभी सब समाप्त नहीं हुआ।

नींद के दौरान शरीर अपने टूटे हिस्सों को ठीक करता है। मस्तिष्क बिखरे हुए विचारों को व्यवस्थित करता है और शरीर ऊर्जा संचित करता है, लेकिन धीरे-धीरे इंसान अपनी चेतना को सुला देता है। वह सुविधा का इतना आदी हो जाता है कि सच से बचना आसान लगता है, क्योंकि सच अक्सर आराम छीन लेता है। यही विवेक की वह नींद है, जो इंसान को भीतर से खोखला कर देती है।

आज का दौर इस बेख़बरी को और गहरा कर रहा है। मोबाइल स्क्रीनें लगातार चमकती रहती हैं, लेकिन इंसान भीतर से बुझता जा रहा है। सूचनाएं बढ़ी हैं, पर समझ कम हुई है। लोग हर समय जुड़े रहने के बावजूद अपने आप से कटते जा रहे हैं। संवाद बढ़े हैं, लेकिन आत्मीयता घटती जा रही

इस्लामी चिंतन में "ग़फ़लत" को इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी माना गया है। ग़फ़लत यानी वह अवस्था, जब इंसान अपने उद्देश्य, अपने कर्मों और अपने अंत की सच्चाई से बेख़बर हो जाए। इसके विपरीत "तक़वा" (ईशपरायणता) का अर्थ है—एक जागरूक चेतना। यह एहसास कि हर कर्म का परिणाम है, जवाबदेही है और हर दिन जीवन का घटता हुआ हिस्सा है। जब यह चेतना पैदा होती है, तब इंसान का व्यवहार बदलने लगता है।

है। ऐसे समय में जागने का अर्थ अपनी मनुष्यता को बचाए रखना भी है।

बहुत से लोग पूरी उम्र "सही समय" का इंतिज़ार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, तब शुरुआत करेंगे। लेकिन जीवन किसी के लिए रुकता नहीं। समय चुपचाप आगे बढ़ता रहता है और टाले गए काम अक्सर अधूरे रह जाते हैं। शायद इसी लिए कहा गया कि "जो जागत है, सो पावत है।" क्योंकि पाने के लिए सबसे पहले अपने समय और अपनी सीमित उम्र के प्रति जागना पड़ता है, सचेत होना पड़ता है।

प्रसिद्ध लेखक पाउलो कोइल्हो ने लिखा था कि "एक दिन आप जागेंगे और आपके पास उन चीज़ों को करने का समय नहीं होगा जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे।" यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन की कठोर सच्चाई छिपी हुई है। इंसान को सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि उसे लगता है उसके पास बहुत समय है। इसी भ्रम में वह कार्यों को टालता रहता है, सपनों को टालता रहता है और अच्छे कामों को भविष्य के भरोसे छोड़ देता है।

इस्लामी परंपरा में फ़ज्र (भोर) का समय केवल इबादत का समय नहीं, बल्कि आत्मा के जागने का समय माना गया है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब एक इंसान का उठकर अपने रब के सामने खड़ा होना यह बताता है कि वह केवल शरीर नहीं, चेतना भी है। उस वक़्त न दिखावा होता है, न शोर। इंसान अपने सबसे सच्चे रूप में होता है। शायद इसी सन्नाटे में मनुष्य स्वयं को सबसे स्पष्ट रूप से सुन पाता है।

इस्लामी चिंतन में "ग़फ़लत" को इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी माना गया है। ग़फ़लत यानी वह अवस्था, जब इंसान अपने उद्देश्य, अपने कर्मों और अपने अंत की सच्चाई से बेख़बर हो जाए। इसके विपरीत "तक़वा" (ईशपरायणता) का अर्थ है—एक जागरूक चेतना। यह एहसास कि हर कर्म का परिणाम है, जवाबदेही है और हर दिन जीवन का घटता हुआ हिस्सा है। जब यह चेतना पैदा होती है, तब इंसान का व्यवहार बदलने लगता है।

जागा हुआ मनुष्य केवल अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचता। वह अपने समाज के बारे में भी सोचता है। उसे दूसरों का दर्द दिखाई देता है और वह अन्याय को सामान्य मानकर चुप नहीं रहता। इतिहास में समाज को बदलने वाले लोग वही रहे हैं जिन्होंने पहले अपने भीतर की नींद तोड़ी। हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत किसी जागे हुए मन से हुई है।

जीवन का सबसे दुखद क्षण शायद वह नहीं जब इंसान हार जाता है, बल्कि वह जब उसे बहुत देर से एहसास होता है कि वह पूरी उम्र सोया रहा। उसने समय गंवा दिया, अवसर गंवा दिए, रिश्ते गंवा दिए और सबसे बढ़कर, अपने भीतर की रोशनी गंवा दी।

असल में, जीवन में आगे बढ़ने का पहला क़दम बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि भीतर से जाग जाना है। जो व्यक्ति अपनी चेतना, समय और संभावनाओं के प्रति सजग हो जाता है, वही अपनी मंज़िल तक पहुंचने की क्षमता विकसित कर पाता है। इसलिए जीवन का सबसे ज़रूरी काम यही है—जागना, इससे पहले कि समय का सूरज ढल जाए और पछतावे की रात उतर आए। ■■



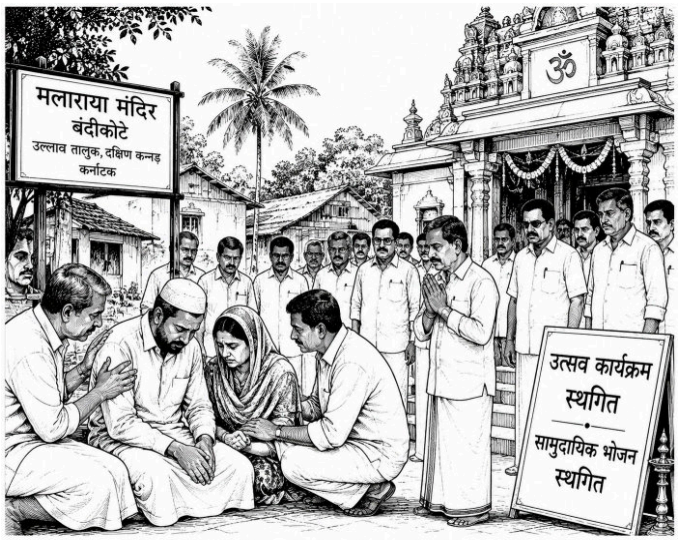
Whatsapp (9818799223) your complete address with screenshot of payment

साझी विरासत की ज़िंदा तस्वीर

❖मुहम्मद अतहरुल्लाह शरीफ़

ऐसे समय में जब समाज में विभाजन और वैमनस्य की ख़बरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के एक छोटे-से गांव से आई इंसानियत की एक शांत लेकिन गहरी मिसाल ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। यह घटना भारत की उस साझा सामाजिक विरासत की याद दिलाती है, जहां धर्म से अधिक मानवीय संवेदनाएं महत्व रखती हैं।

दक्षिण कन्नड़ ज़िले के उल्लाल तालुक़ा स्थित बंदीकोटे गांव में मलाराया मंदिर में ब्रह्म कलशोत्सव की तैयारियां चल रही थीं। पूरा गांव उत्सव के रंग में डूबा हुआ था। मंदिर परिसर में वास्तु पूजा और सामुदायिक भोज जैसी धार्मिक गतिविधियां आरम्भ हो चुकी थीं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हो रहे थे।



सांकेतिक चित्र : शोक की घड़ी में संवेदना और एकता का संदेश देता एक गाँव

मंदिर के पड़ोस में मुस्लिम परिवार के हसैनार नामक एक सम्मानित स्थानीय निवासी रहते थे। उत्सव के बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। देखते ही देखते यह एक सामान्य घटना से आगे बढ़कर इंसानियत की मिसाल बन गई।

मंदिर समिति के सदस्य और स्थानीय लोग तुरंत सहायता के लिए आगे आए। बिना किसी देरी के हसैनार को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।

इसके बाद मंदिर समिति ने जो निर्णय लिया, उसने अनेक लोगों के दिलों को छू लिया। समिति ने सर्वसम्मति से तय किया कि मंदिर के उत्सव कार्यक्रम स्थगित कर दिए जाएंगे और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने तक सामुदायिक भोज भी नहीं होगा।

कुछ घंटों तक मंदिर परिसर पूरी तरह शांत रहा। न कोई उत्सव हुआ, न संगीत बजा और न ही सार्वजनिक भोजन का आयोजन किया गया। गांव के लोगों और मंदिर प्रशासन का मानना था कि पड़ोस में एक परिवार शोक में डूबा हो तो उत्सव मनाना संवेदनहीनता होगी। उस समय पूरे गांव का वातावरण विभाजन नहीं, बल्कि साझी संवेदना और एकजुटता का प्रतीक बन गया।

ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्णय किसी बाहरी दबाव या दिखावे का परिणाम नहीं था, बल्कि सहज मानवीय मूल्यों से प्रेरित था। उनके लिए हसैनार केवल एक मुस्लिम पड़ोसी नहीं थे, बल्कि उस सामाजिक ताने-बाने का हिस्सा थे जो समुदाय को एक-दूसरे से जोड़कर रखता है।

यह घटना इसलिए भी चर्चा में आई क्योंकि यह उन साम्प्रदायिक तनावों के बिल्कुल विपरीत है, जो अक्सर राष्ट्रीय बहसों में दिखाई देते हैं। दक्षिण कन्नड़ जैसे क्षेत्र, जहां समय-समय पर राजनीतिक ध्रुवीकरण और धार्मिक तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं, वहां मलाराया मंदिर समिति का यह व्यवहार सह-अस्तित्व, संवेदना और पारस्परिक सम्मान की एक अलग तस्वीर पेश करता है।

स्थानीय लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में विभिन्न समुदायों के बीच संबंध पीढ़ियों से गहरे रहे हैं। साथ रहना, व्यापार

करना, त्योहारों में भागीदारी और दैनिक जीवन के रिश्ते इस सामाजिक मेल-जोल को मज़बूत बनाते रहे हैं। गांव के बुज़ुर्ग कहते हैं कि पहले भारत के अनेक हिस्सों में दुःख और सुख के अवसरों पर लोग धर्म नहीं, बल्कि इंसानियत के आधार पर एक-दूसरे के साथ खड़े होते थे।

बंदीकोटे की यह घटना कर्नाटक तट के उस ऐतिहासिक सामाजिक संबंध की भी याद दिलाती है, जहां सदियों पहले आए अरब व्यापारियों का स्थानीय समाज ने स्वागत किया था। इन्हीं रिश्तों ने इस क्षेत्र की बहुलतावादी पहचान को आकार दिया। मस्जिदें, मंदिर और बाज़ार अक्सर साथ-साथ विकसित हुए और आपसी भरोसे ने सामाजिक जीवन को स्थिरता दी।

कई लोगों के लिए बंदीकोटे में जो हुआ, वह कोई असाधारण घटना नहीं, बल्कि उस गहरी सभ्यतागत सोच का हिस्सा है जिसमें धर्म का उद्देश्य मनुष्यता को जोड़ना माना जाता है, तोड़ना नहीं।

कई लोगों के लिए बंदीकोटे में जो हुआ, वह कोई असाधारण घटना नहीं, बल्कि उस गहरी सभ्यतागत सोच का हिस्सा है जिसमें धर्म का उद्देश्य मनुष्यता को जोड़ना माना जाता है, तोड़ना नहीं।

सामाजिक विश्लेषकों और स्थानीय नेताओं ने मंदिर समिति की संवेदनशीलता की सराहना की है। उनका कहना है कि आज समाज को ऐसे उदाहरणों की अधिक आवश्यकता है, जो मेल-मिलाप, सामाजिक एकता और पारस्परिक सम्मान की भावना को मज़बूत करें। उनका मानना है कि इस तरह की घटनाएं भारत के उस वास्तविक सामाजिक जीवन को सामने लाती हैं, जहां रोज़मर्रा के रिश्ते राजनीतिक और धार्मिक विभाजनों से कहीं अधिक गहरे होते हैं।

हालांकि गांव के लोग इसे कोई बड़ा काम मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि उन्होंने केवल एक शोकाकुल परिवार के साथ खड़े होने का मानवीय दायित्व निभाया। लेकिन एक ऐसे दौर में, जहां समाज लगातार ध्रुवीकरण का सामना कर रहा है, बंदीकोटे के लोगों की यह सहज करुणा दूर-दूर तक लोगों के दिलों में जगह बना रही है। ■■

"रास्ते से कष्टदायक चीज़ों को हटा दें, यह भी सदक़ा है।"
(हदीस : बुख़ारी)

A Well Wisher

Md. Mumtaz
Ballia
(U.P.)

आवरण कथा

जनसंख्या : संकट, संसाधन और सियासत?

❖सुफ़ियान अहमद

हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस (World Population Day) मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया यह दिवस केवल बढ़ती आबादी पर चिंता व्यक्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह मानव संसाधनों, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और सतत विकास जैसे प्रश्नों पर गंभीर चिंतन का भी दिन है। लेकिन विडंबना यह है कि भारत में यह दिवस अक्सर केवल "जनसंख्या विस्फोट" के भय तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि दुनिया और स्वयं भारत के भीतर बदलते जनसांख्यिकीय संकेत अब कहीं अधिक जटिल तस्वीर पेश कर रहे हैं।

वर्ष 2023 में जब भारत ने आधिकारिक रूप से चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश का स्थान प्राप्त किया, तब एक बार फिर "जनसंख्या विस्फोट" का प्रश्न राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आया। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टों, राजनीतिक मंचों, टीवी बहसों और सोशल मीडिया अभियानों में यह स्वर तेज़ हुआ कि भारत की बढ़ती आबादी विकास की सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में दो-बच्चों की नीति, सरकारी सुविधाओं में कटौती और चुनाव लड़ने की पात्रता को जनसंख्या से जोड़ने जैसे प्रस्तावों ने इस बहस को और अधिक राजनीतिक बना दिया।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के हालिया आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रजनन दर लगातार घट रही है और कई राज्यों में यह प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level) से भी नीचे पहुंच चुकी है। ऐसे समय में यह आवश्यक हो जाता है कि "जनसंख्या" की बहस को भावनात्मक नारों से निकालकर आर्थिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टि से देखा जाए।

लेकिन हाल में ही जनसंख्या को लेकर देश के कुछ राज्यों द्वारा उठाए गए क़दमों ने यथास्थिति के बिल्कुल विपरीत तस्वीर पेश की है। ये राज्य इन क़दमों के पीछे मुख्यतः घटती प्रजनन दर (Fertility Rate), वृद्ध होती आबादी, भविष्य की श्रमशक्ति और संभावित राजनीतिक प्रतिनिधित्व (delimitation) जैसी चिंताओं को आधार बना रहे हैं।

स्थिति यहां तक बदल चुकी है कि ये राज्य अब जनसंख्या नियंत्रण नहीं, बल्कि जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने लगे हैं। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु और मिजोरम जैसे राज्यों में घटती जन्मदर को भविष्य की श्रमशक्ति, आर्थिक संतुलन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के केरल और कुछ अन्य राज्यों ने भी संकेत दिए कि अत्यधिक जनसंख्या-नियंत्रण की पुरानी सोच पर पुनर्विचार होना चाहिए। यह इस बात का संकेत है कि 'जनसंख्या विस्फोट' का पुराना विमर्श अब स्वयं पुनर्मूल्यांकन के दौर से गुज़र रहा है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में दशकों तक "जनसंख्या नियंत्रण" की भाषा चलती रही।

इसके समानांतर एक दूसरा पक्ष भी उभरकर सामने आया है। चीन, जापान और यूरोप के अनेक विकसित देश आज घटती जन्मदर और वृद्ध होती आबादी के संकट से जूझ रहे हैं। चीन को अपनी कठोर "वन चाइल्ड पॉलिसी" में बदलाव करना पड़ा, क्योंकि कार्यशील युवाओं की कमी ने उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डालना शुरू कर दिया। पश्चिमी देशों में श्रमशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए प्रवासी युवाओं पर निर्भरता बढ़ रही है। "जनसंख्या" को केवल बोझ मानने वाली सोच अब वैश्विक स्तर पर बदल रही है।

दरअस्ल, भारत में "जनसंख्या" के विमर्श को अक्सर वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाकर केवल संख्या पर केंद्रित कर दिया जाता है। भारत आज भी खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर देशों में गिना जाता है, लेकिन दूसरी ओर करोड़ों लोग कुपोषण और भूख का सामना कर रहे हैं। समस्या उत्पादन की कमी से अधिक वितरण, भंडारण और आर्थिक विषमता की है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न वैश्विक रिपोर्टें लगातार संकेत कर रही हैं कि दुनिया में जितना भोजन उत्पादित होता है, वह वर्तमान आबादी से कहीं अधिक

लोगों का पेट भर सकता है, लेकिन संसाधनों का असमान वितरण और बड़े पैमाने पर बर्बादी मानव संकट को जन्म देती है। भारत में भी यही स्थिति दिखाई देती है, एक ओर गोदामों में अनाज सड़ता है, दूसरी ओर ग़रीब परिवार भोजन के लिए संघर्ष करते हैं।

वर्तमान स्थिति यह है कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार, भारत की औसत आयु अभी भी अनेक विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। यह स्थिति भारत को "जनसांख्यिकीय लाभांश" का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है। हालांकि, यह अवसर अपने आप उपलब्धि में नहीं बदलेगा। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल-विकास और रोज़गार के क्षेत्र में ठोस निवेश नहीं हुआ तो यही युवा शक्ति निराशा और असंतोष का कारण भी बन सकती है। इसलिए असली प्रश्न जनसंख्या को नियंत्रित करने का नहीं, बल्कि उसे सक्षम बनाने का है।

दुर्भाग्य से हमारे देश में राजनीतिक विमर्श का एक हिस्सा आज भी जनसंख्या को सांप्रदायिक और चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करता है। आंकड़ों और वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों की बजाय भय और आशंकाओं को उभारने की प्रवृत्ति बढ़ी है। जनसंख्या का मुद्दा सियासत, प्रतिनिधित्व और सत्ता-संतुलन के प्रश्न से भी जुड़ा रहा है। विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में यह आशंका भी उभर रही है कि जिन्होंने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों का पालन किया, भविष्य में लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण (Delimitation) के बाद वही राजनीतिक रूप से कमज़ोर पड़ सकते हैं, जबकि अधिक आबादी वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। इससे यह मुद्दा संघीय ढांचे (Federal Structure), राजनीतिक शक्ति-संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बहस से भी जुड़ जाता है।

जनसंख्या का मुद्दा चुनावी और सांस्कृतिक विमर्श से भी जुड़ा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल और वैचारिक समूह इसे अपने-अपने सामाजिक आधार, धार्मिक आशंकाओं और भविष्य की वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखने लगे हैं। परिणामतः जनसंख्या पर गंभीर आर्थिक और मानवीय बहस कई बार भावनात्मक नारों, भय और पहचान की राजनीति के शोर में दब जाती है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के हालिया आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रजनन दर लगातार घट रही है और कई राज्यों में यह प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level) से भी नीचे पहुंच चुकी है।

ऐसे समय में यह आवश्यक हो जाता है कि "जनसंख्या" की बहस को भावनात्मक नारों से निकालकर आर्थिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टि से देखा जाए। क्या बड़ी आबादी वास्तव में संकट है, या फिर संसाधनों के असमान वितरण, शिक्षा की बदहाली, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और नीतिगत विफलताओं को छिपाने के लिए जनसंख्या को आसान बहाना बना दिया गया है? क्या भारत अपनी विशाल युवा आबादी को मानव संसाधन और आर्थिक शक्ति में बदलने की दूरदृष्टि विकसित कर पा रहा है? और क्या जनसंख्या नियंत्रण के कठोर क़ानून भविष्य में वही संकट पैदा नहीं करेंगे जिनसे आज विकसित देश जूझ रहे हैं?

स्पष्ट है कि भारत के सामने चुनौती केवल लोगों की संख्या नहीं, बल्कि संसाधनों, अवसरों और विकास के न्यायपूर्ण प्रबंधन की है। यदि देश अपनी युवा शक्ति, महिलाओं की भागीदारी, तकनीकी विकास, कृषि क्षमता, पर्यटन, कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग कर सके तो यही विशाल आबादी भारत की सबसे बड़ी ताक़त साबित हो सकती है। इसलिए आवश्यकता जनसंख्या से डरने की नहीं, बल्कि उसे दिशा देने की है।

आज पूरी दुनिया ही नहीं भारत में भी जनसंख्या-विमर्श बदल रहा है। पहले डर "जनसंख्या विस्फोट" का था, अब चिंता "घटती जनसंख्या" और "बुज़ुर्ग समाज" की होने लगी है। अब बहस "जनसंख्या नियंत्रण" से हटकर "जनसांख्यिकीय संतुलन" पर जा रही है। जहां कभी "हम दो, हमारे दो" का नारा था, वहीं अब कुछ राज्य और राजनीतिक समूह अधिक बच्चों को भविष्य की आर्थिक आवश्यकता के रूप में देखने लगे हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में डर यह है कि यदि जन्म दर लगातार गिरती रही तो भविष्य में वहां जापान और दक्षिण कोरिया जैसी "वृद्ध समाज" (Aging Society) की स्थिति पैदा हो सकती है।

स्पष्ट रहे कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती अभी भी युवाओं के लिए रोज़गार, शिक्षा और अवसर पैदा करना है। केवल अधिक बच्चे पैदा करना समाधान नहीं हो सकता। आज आंध्र प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है, जहां चंद्रबाबू नायडू सरकार ने तीसरे और चौथे बच्चे पर नक़द प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। हालांकि समाधान जनसंख्या को अधिक सक्षम बनाने में है, केवल प्रोत्साहन राशि में नहीं।■■

जनसंख्या विस्फोट का मिथक

❖डॉ. मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में दुनिया को एक डर से परिचित कराया गया और उसे लगभग अपरिहार्य आपदा की तरह प्रस्तुत किया गया—जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion)। कहा गया कि यदि आबादी इसी गति से बढ़ती रही तो पृथ्वी के संसाधन समाप्त हो जाएंगे, खाद्यान्न संकट पैदा होगा, भूख और महामारी फैलेंगी तथा मानव सभ्यता विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी।



स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और मीडिया विमर्शों में यह विचार बार-बार दोहराया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या "अधिक लोग" हैं। लेकिन लगभग आधी सदी बाद यह प्रश्न गंभीरता से पूछा जाने लगा है कि क्या वह डर वास्तविक था, या वह राजनीति, अर्थशास्त्र और वैश्विक शक्ति-संतुलन से जुड़ा एक "गढ़ा हुआ नैरेटिव" था?

आज, 2026 में जब हम विश्व की स्थिति को देखते हैं तो पाते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के बावजूद दुनिया न तो व्यापक अकाल से तबाह हुई, न खाद्यान्न उत्पादन रुका और न ही वह सर्वनाश हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। उलटे, चिकित्सा, कृषि तकनीक, परिवहन और उत्पादन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। समस्या समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसका कारण अलग निकला—वह संसाधनों की कमी से अधिक संसाधनों के असमान वितरण, आर्थिक अन्याय और राजनीतिक प्राथमिकताओं की समस्या के रूप में सामने आई।

माल्थस का सिद्धांत और डर की शुरुआत

अठारहवीं सदी में Thomas Robert Malthus ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जनसंख्या ज्यामितीय गति से बढ़ती है, जबकि खाद्यान्न उत्पादन अपेक्षाकृत धीमी गति से। इसलिए एक समय ऐसा आएगा जब भूख, बीमारी और युद्ध मानव समाज को संतुलित करने के लिए अनिवार्य हो जाएंगे।

यह विचार बाद के वर्षों में पश्चिमी जनसंख्या विमर्श की बुनियाद बन गया। वर्ष 1968 में आई पॉलआर एलरिक की पुस्तक "दी पॉपुलेशन बॉम्ब" ने इस डर को और भी भयानक रूप में आम लोगों में फैला दिया। पुस्तक में भविष्यवाणी की गई थी कि 1970 और 1980 के दशक में करोड़ों लोग भुखमरी से मरेंगे और कई देशों की सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आंकड़ों के अनुसार विकासशील देशों के क़रीब 20 लाख लोग इस दशक में भुखमरी का शिकार हुए, जबकि अमेरिका जैसे पूंजीवादी देशों ने इस भुखमरी से अनाज महंगे दामों पर बेचकर बे-हिसाब धन कमाया।

वर्ष 1960 के दशक में भारत सहित कई देशों में हरित क्रांति आई। उच्च उत्पादकता वाले बीज, उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों ने खाद्यान्न उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। भारत, जिसे कभी अकाल-ग्रस्त और "जनसंख्या से बोझल" देश कहा जाता था, आज दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादकों में शामिल है।

'खाद्य एवं कृषि संगठन' (FAO) के आंकड़े बताते हैं कि पिछले छह दशकों में वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन जनसंख्या वृद्धि से अधिक तेज़ी से बढ़ा है। वर्ष 1961 में विश्व की

जनसंख्या लगभग 3.1 अरब थी, जो आज 8 अरब से अधिक हो चुकी है, जबकि इसी अवधि में वैश्विक अनाज उत्पादन लगभग 90 करोड़ टन से बढ़कर 2.8 अरब टन से अधिक हो गया। FAO और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार दुनिया में उत्पादित भोजन सैद्धांतिक रूप से 10 अरब से अधिक लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसके बावजूद हर वर्ष लगभग 1.3 अरब टन भोजन बर्बाद या नष्ट हो जाता है, जबकि 70 से 80 करोड़ लोग कुपोषण और भूख का सामना करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वास्तविक संकट जनसंख्या वृद्धि का है ही नहीं, बल्कि संकट यह है कि संसाधनों का वितरण और आर्थिक व्यवस्था दोनों ही अन्यायपूर्ण हैं ।

जनसंख्या नियंत्रण : वैश्विक नीति और उसका प्रभाव

बीसवीं सदी के दूसरे भाग में जनसंख्या नियंत्रण केवल सामाजिक विमर्श नहीं रहा, बल्कि वैश्विक नीति का हिस्सा बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और अनेक अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने "परिवार नियोजन" — या परिवार छोटा करने — को विकास से जोड़ दिया। विकासशील देशों को यह संदेश दिया गया कि ग़रीबी का मुख्य कारण उनकी बढ़ती आबादी है। परिणामस्वरूप एशिया, अफ़्रीक़ा और लैटिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाए गए।

स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और मीडिया विमर्शों में यह विचार बार-बार दोहराया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या "अधिक लोग" हैं। लेकिन लगभग आधी सदी बाद यह प्रश्न गंभीरता से पूछा जाने लगा है कि क्या वह डर वास्तविक था, या वह राजनीति, अर्थशास्त्र और वैश्विक शक्ति-संतुलन से जुड़ा एक "गढ़ा हुआ नैरेटिव" था?

भारत में इसका सबसे विवादास्पद उदाहरण आपातकाल (1975–77) के दौरान सामने आया। तत्कालीन सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाया गया। कई स्थानों पर लोगों पर दबाव डाला गया, ग़रीब तबक़ों को निशाना बनाया गया और प्रशासनिक लक्ष्य पूरे करने के लिए मानवाधिकारों की अनदेखी की गई। आज भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसे एक काला अध्याय माना जाता है।

जिन नीतियों को "आधुनिक विकास" के नाम पर लागू किया गया, वे कई बार मानव गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध चली गईं। आलोचकों का मानना है कि यह वास्तव में कुछ विकसित देशों द्वारा आबादी पर नियंत्रण के माध्यम से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की योजना का हिस्सा था।

चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी की असफलता : एक चेतावनी

वर्ष 1979 में लागू की गई चीन की "वन चाइल्ड पॉलिसी" को कभी जनसंख्या नियंत्रण का आदर्श मॉडल बताया जाता था। लेकिन इसके परिणाम अत्यंत ख़तरनाक निकले :

- जबरन गर्भपात और नसबंदी की गई।
- लिंगानुपात बिगड़ गया क्योंकि पुत्र-प्राथमिकता की प्रवृत्ति के कारण कन्या भ्रूण हत्या बढ़ी।
- वृद्ध आबादी तेज़ी से बढ़ी।
- युवा आबादी घटने लगी, जिससे श्रमिकों की संख्या में भी कमी आने लगी।

आज चीन उसी समस्या से जूझ रहा है जिसे कभी विकसित देशों की समस्या माना जाता था—वृद्ध होती जनसंख्या। चीन अब लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और अब तक तीन संतान पॉलिसी तक लागू कर चुका है।

जापान और यूरोप : घटती आबादी का संकट

जापान, इटली और कई यूरोपीय देशों में जन्म-दर, रिप्लेसमेंट लेवल (2.1 जन्म प्रति महिला) से काफ़ी नीचे जा चुकी है।

जापान में स्थिति इतनी गंभीर है कि हर वर्ष वहां की आबादी लाखों की संख्या में घट रही है। गांव ख़ाली हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं और बुज़ुर्गों की देखभाल एक बड़ी चुनौती बन गई है।

यूरोप के कई देशों में सरकारें अब अधिक बच्चे पैदा करने पर आर्थिक प्रोत्साहन दे रही हैं। यह वही यूरोप है जिसने कभी विकासशील देशों को "जनसंख्या नियंत्रण" का पाठ पढ़ाया था। अब वहां अधिक संतान वालों को सुविधाएं दी जा रही हैं।

भारत में जनसंख्या का सांप्रदायीकरण

भारत में जनसंख्या का प्रश्न धीरे-धीरे राजनीतिक और

साम्प्रदायिक रंग ले चुका है। चुनावी भाषणों, टीवी डिबेटों और सोशल मीडिया अभियानों में बार-बार यह प्रचार किया जाता है कि देश में "जनसंख्या विस्फोट" हो रहा है और इसके लिए विशेष रूप से मुसलमान ज़िम्मेदार हैं।

लेकिन तथ्य इस दावे के बिल्कुल उलट हैं। नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सभी समुदायों की जन्म-दर लगातार घटी है :

• NFHS-1 (1992–93) के अनुसार भारत का कुल Total Fertility Rate (TFR) 3.4 था।

• मुस्लिम TFR 1992-93 के 4.41 से घटकर 2019-21 में 2.36 रह गया, अर्थात् 46.5% की गिरावट।

• हिंदू TFR 3.3 से घटकर 1.94 हुआ, अर्थात् 41.2% की गिरावट।

• यानी सबसे तेज़ गिरावट मुस्लिम समुदाय में दर्ज की गई।

• SRS (सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) 2024 के अनुसार भारत का कुल TFR अब 1.9 है, अर्थात् 44.1% की गिरावट। यह रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे है।

इन आंकड़ों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले तीन दशकों में जन्म-दर में सबसे तेज़ गिरावट मुस्लिम समुदाय में दर्ज की गई है। यदि "जनसंख्या विस्फोट" का अर्थ लगातार बढ़ती और अनियंत्रित जन्म-दर है, तो उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि भारत उस दिशा में नहीं बल्कि जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में बढ़ रहा है।

आज, 2026 में जब हम विश्व की स्थिति को देखते हैं तो पाते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के बावजूद दुनिया न तो व्यापक अकाल से तबाह हुई, न खाद्यान्न उत्पादन रुका और न ही वह सर्वनाश हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। उलटे, चिकित्सा, कृषि तकनीक, परिवहन और उत्पादन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

धर्म नहीं, शिक्षा और आर्थिक स्थिति निर्णायक कारक

विशेषज्ञ लगातार यह बताते रहे हैं कि जन्म-दर का संबंध धर्म से अधिक शिक्षा, आय, स्वास्थ्य सुविधाओं और महिलाओं की सामाजिक स्थिति से होता है। केरल इसका सही उदाहरण है। वहां मुस्लिम समुदाय की जन्म-दर उत्तर भारत के कई राज्यों से कम है। कारण यह है कि वहां शिक्षा का स्तर बेहतर है, स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक उपलब्ध हैं और महिलाओं की सामाजिक भागीदारी अधिक है।

इसलिए यह कहना कि "कोई विशेष धर्म" जनसंख्या वृद्धि का कारण है, न केवल तथ्यात्मक रूप से ग़लत है बल्कि सामाजिक रूप से भी ख़तरनाक है।

डर की राजनीति और मीडिया की भूमिका

जनसंख्या का प्रश्न जब राजनीतिक हथियार बन जाता है, तब उसका उद्देश्य समस्या का समाधान नहीं बल्कि डर का निर्माण होता है। "डेमोग्राफ़िक ख़तरा", "पॉपुलेशन जिहाद" और "जनसंख्या असंतुलन" जैसे शब्द मीडिया और सोशल मीडिया में बार-बार दोहराए जाते हैं। इन शब्दों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बहुसंख्यक समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करना है।

इस नीति से एक ओर तो वास्तविक आर्थिक समस्याओं से ध्यान हट जाता है, दूसरी ओर समुदायों के बीच अविश्वास और परिणामस्वरूप वोटों का ध्रुवीकरण होता है। जब बेरोज़गारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जवाब देना कठिन हो जाता है, तब जनसंख्या का डर एक सुविधाजनक राजनीतिक उपकरण बन जाता है।

इस्लामी दृष्टिकोण : संतुलन, ज़िम्मेदारी और मानवीय गरिमा

इस्लाम जनसंख्या को केवल संख्या, बोझ या आर्थिक समस्या के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे मानवीय क्षमता, सामाजिक शक्ति और अल्लाह की एक अमानत के रूप में देखता है।

क़ुरआन मनुष्य को पृथ्वी पर "ख़लीफ़ा" अर्थात् उत्तरदायी प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करता है। इसलिए इस्लामी दृष्टिकोण में जनसंख्या सिरे से ही कोई समस्या नहीं है।

क़ुरआन कहता है : "और अपनी संतान की निर्धनता के डर से हत्या न करो; हम उन्हें भी रोज़ी देते हैं और तुम्हें भी।" (क़ुरआन, 17:31)

यह आयत उस मानसिकता की आलोचना करती है जो आर्थिक डर के कारण मनुष्य के अस्तित्व को ही समस्या मानने लगती है। इस्लाम यह शिक्षा देता है कि आजीविका का वास्तविक स्रोत अल्लाह है। हर नया व्यक्ति समाज के लिए श्रम, प्रतिभा, रचनात्मकता और सामाजिक ऊर्जा का संभावित स्रोत है।

इस्लाम केवल संतान की हत्या से ही नहीं रोकता, बल्कि ज़िम्मेदार परिवार, उत्तम परवरिश, शिक्षा, नैतिक

प्रशिक्षण और सामाजिक दायित्व पर भी समान रूप से बल देता है। बच्चों की उचित परवरिश, उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें एक स्वस्थ, शिक्षित और ज़िम्मेदार नागरिक बनाना इस्लामी शिक्षाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी ने अपनी पुस्तक बर्थ कंट्रोल में लिखा है कि आधुनिक दुनिया ने कई बार ग़रीबी, आर्थिक शोषण और संसाधनों के अन्यायपूर्ण वितरण जैसी वास्तविक समस्याओं को छिपाकर जनसंख्या को ही मूल समस्या के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके गंभीर परिणाम सामने आए हैं। उनका तर्क था कि दुनिया में भूख और अभाव का कारण लोगों की संख्या नहीं, उत्पादन और धन का बड़ा हिस्सा कुछ व्यक्तियों, वर्गों और देशों के हाथों में केंद्रित हो जाना है। वे लिखते हैं कि जब समाज में आर्थिक न्याय समाप्त हो जाए और संसाधनों का वितरण असंतुलित हो, तब जनसंख्या को दोष देना वास्तविक समस्या से ध्यान हटाने के समान है।

वास्तविक संकट: जनसंख्या नहीं, असमानता

यदि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या केवल जनसंख्या होती, तो अपेक्षाकृत कम आबादी वाले विकसित देश पर्यावरण संकट और संसाधनों के अत्यधिक दोहन के सबसे बड़े कारण न होते। वास्तविकता यह है कि दुनिया की कुल आबादी का एक छोटा-सा हिस्सा वैश्विक संसाधनों का अनुपातहीन उपभोग करता है, जबकि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षति में ग़रीब देशों की जनसंख्या से अधिक भूमिका उपभोग-प्रधान आर्थिक मॉडल की है। इसलिए समस्या केवल लोगों की संख्या नहीं, बल्कि संसाधनों के असमान वितरण और आर्थिक अन्याय की है।

बीसवीं सदी में जिस "जनसंख्या विस्फोट" को मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बताया गया था, आज वही विमर्श कई देशों में उलट चुका है। यूरोप, जापान और चीन जैसे देश घटती जन्म-दर, वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की कमी से चिंतित हैं। जनसंख्या का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि समाज अपने मानव संसाधनों, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय को किस प्रकार व्यवस्थित करता है।

भारत में इस प्रश्न को जिस प्रकार साम्प्रदायिक रंग दे दिया गया है, वह विशेष चिंता का विषय है। जबकि आंकड़े बताते हैं कि सभी समुदायों में जन्म-दर लगातार घट रही है और मुस्लिम समुदाय में यह गिरावट सबसे तेज़ रही है, फिर भी "जनसांख्यिकीय ख़तरे" का डर पैदा किया जाता है। यह डर अक्सर वास्तविक समस्याओं—बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक असमानता और संसाधनों के अन्यायपूर्ण वितरण—से ध्यान हटाने का प्रयास है।

इतिहास साक्षी है कि जब भी मनुष्य को केवल एक अतिरिक्त "संख्या" या "बोझ" के रूप में देखा गया, तब मानव-गरिमा को क्षति पहुंची। आवश्यकता डर और पूर्वाग्रह से मुक्त, तथ्यपरक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की है। जनसंख्या के प्रश्न का समाधान संख्या घटाने में नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और समान अवसरों को सुनिश्चित करने में निहित है। लोकतांत्रिक समाजों में जिम्मेदार विमर्श वही है जो मनुष्य को समस्या नहीं, बल्कि संभावना के रूप में देखे। ■■

स्रोत और संदर्भ :

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें : United Nations Population Division, World Bank Population Data, UNFPA Reports

भारतीय स्रोत : National Family Health Survey (NFHS), Registrar General of India

पुस्तकें : The Population Bomb, Birth Control, An Essay on the Principle of Population



विशेष आयोजन

समस्या, जनसंख्या या संसाधनों का असमान वितरण ?

❖नदीम उद्दीन एडवोकेट

विश्व की बढ़ती जनसंख्या को आम आदमी की लगभग सभी समस्याओं के कारण के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। मुख्य रूप से ग़रीबी, पर्यावरण और संसाधनों के संकट का कारण बढ़ती जनसंख्या को बताया जाता रहा है। जबकि वर्तमान विश्व में विभिन्न समस्याओं के लिए यूरोपीय विकसित देशों में उनकी घटती जनसंख्या को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, वहीं एशिया तथा अफ़्रीक़ा महाद्वीप के पिछड़े व विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या को उनकी मूल समस्याओं का कारण बताया जा रहा है। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जनसंख्या समस्या है या संसाधन? और अगर यह समस्या है तो इस समस्या का समाधान क्या है?

माल्थस का सिद्धांत कितना सही ?

जनसंख्या नियंत्रण की सोच की शुरुआत यूरोप में अठारहवीं शताब्दी के आख़िर में मानी जाती है। इसका प्रथम प्रेरक इंग्लैंड का अर्थशास्त्री माल्थस था। उसके समय में अंग्रेज़ राष्ट्र की दिन-दूनी रात-चौगुनी ख़ुशहाली के कारण इंग्लैंड की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि शुरू हुई। इस वृद्धि को देखकर उसने हिसाब लगाया कि धरती पर बसने, भोजन तथा आर्थिक साधन सीमित हैं, जबकि जनसंख्या वृद्धि अधिक है। यदि जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो संसाधन कम पड़ जाएंगे और इससे लोगों का जीवन स्तर गिरता चला जाएगा। इसलिए मानव जाति की समृद्धि के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। उसने यह विचार वर्ष 1798 में अपनी एक पत्रिका में प्रस्तुत किए थे।

वर्तमान समय में विश्व के विकास ने माल्थस के सिद्धांत को ग़लत साबित कर दिया है। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों में मौजूद यह सिद्धांत सही सिद्ध हुआ है कि संसार में जन्म लेने वालों को पालने वाला कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर है। यह तथ्य इस बात से प्रमाणित होता है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ संसार में भोजन तथा सुविधाओं का भी विकास हुआ है और माल्थस के समय की तुलना में आज संसार के लोग अधिक ख़ुशहाल हैं। यदि कुछ समस्याएं हैं, तो वे संसाधनों के कुप्रबंधन तथा असमान वितरण के कारण हैं। दुनिया के कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा कई गुना अधिक संसाधन बर्बाद कर रहे हैं, जबकि अन्य लोगों को उनके लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं।

विश्व का जनसंख्या परिदृश्य

यदि हम विश्व का जनसंख्या परिदृश्य समझ लें, तो यह भ्रांति स्वतः दूर हो जाएगी कि विश्व में जनसंख्या अत्यधिक है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि विश्व के देशों में जनसंख्या वितरण असमान होने के कारण ही यह समस्या दिखाई देती है। अपने देश में भी विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रदेशों में असमान जनसंख्या वितरण के कारण कुछ क्षेत्र कम जनसंख्या की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि अन्य क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि से प्रभावित हैं।

विश्व की कुल आबादी 8 अरब से अधिक है और इसका औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 56 है, जबकि विश्व में ऐसे भी देश व क्षेत्र हैं जिनका घनत्व 2100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। भारत का जनसंख्या घनत्व लगभग 497 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में मकाऊ (चीन), मोनाको, सिंगापुर, हांगकांग, जिब्राल्टर, बहरीन, मालदीव, माल्टा, बांग्लादेश, सेंट मार्टिन और बरमूडा शामिल हैं।

भारत में जन्मदर की स्थिति

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रश्न संख्या 452 के उत्तर दिनांक 03-02-2023 में स्पष्ट किया गया कि भारत की कुल जन्मदर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंच चुकी है और सीबीआर (Crude Birth Rate) 19.5 हो गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत में भी उसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि की गति कम होना प्रारंभ हो गई है, जैसी बीसवीं सदी में यूरोप में हुई थी, और जिसके दुष्परिणाम आज विभिन्न देशों में देखे जा रहे हैं।

राज्यवार जन्मदर के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की कुल क्रूड बर्थ रेट (CBR) वर्ष 2018 के 20 की

तुलना में घटकर 19.5 रह गई। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जन्मदर राष्ट्रीय औसत से कम थी। इनमें अंडमान-निकोबार, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय औसत से अधिक जन्मदर वाले राज्यों की संख्या सीमित है, जिनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं।

जन्मदर के ये आंकड़े उस भ्रांति को भी समाप्त करते हैं कि मुसलमानों में जन्मदर अत्यधिक होती है। जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जन्मदर राष्ट्रीय औसत से कम है, उनमें कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां मुस्लिम आबादी का अनुपात अधिक है।

जनसंख्या नियंत्रण समर्थकों की भ्रांतियां और वास्तविकता

1. क्या जनसंख्या रहने के स्थान की कमी का कारण है? : वास्तविकता यह है कि विश्व तथा देश में रहने के स्थान की कोई वास्तविक कमी नहीं है। विश्व के विभिन्न देशों में बसने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है और वर्तमान समय में पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव जैसी हो गई है। भारत में भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा अन्य पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन और घटती जनसंख्या की समस्या है, जबकि महानगर अत्यधिक जनसंख्या के दबाव से जूझ रहे हैं।

2. क्या जनसंख्या से खाने-पीने का संकट उत्पन्न होगा? : यह धारणा भी पूर्णतः सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र फ़ूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में लगभग 1052 मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ, जो प्रति व्यक्ति लगभग 132 किलोग्राम वार्षिक है। यदि इस बर्बादी का आधा हिस्सा भी बचा लिया जाए, तो विश्व में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा।

इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन तथा प्रति हेक्टेयर उपज में निरंतर वृद्धि हुई है। पीने के पानी के प्रश्न पर भी कई देशों में समुद्री जल को शुद्ध कर उपयोग किया जा रहा है।

3. क्या जनसंख्या आर्थिक विकास के लिए हानिकारक है? : यह धारणा भी पूरी तरह सत्य नहीं है। वास्तव में अधिक जनसंख्या विकास का आधार भी बन सकती है। विश्व की प्रमुख शक्तियां—भारत, चीन, अमेरिका, जापान और रूस—अधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल हैं। जबकि अत्यंत ग़रीब देशों में सूडान, सोमालिया, अफ़ग़ानिस्तान, इथियोपिया और मलावी जैसे देश शामिल हैं, जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देशों में नहीं आते। यूरोप में घटती जनसंख्या आर्थिक मंदी और श्रम संकट का कारण बन रही है।

4. क्या जनसंख्या पर्यावरण के लिए संकट है?: पर्यावरण संकट केवल जनसंख्या के कारण नहीं, बल्कि संसाधनों के उपभोग के तरीक़े के कारण भी उत्पन्न होता है। विकसित देशों में कम जनसंख्या होने के बावजूद प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग अधिक है, जो पर्यावरण के लिए बड़ा ख़तरा है। इसलिए पर्यावरण संकट के लिए केवल जनसंख्या नहीं, बल्कि नीतियां और उपभोग की प्रवृत्तियां भी ज़िम्मेदार हैं।

5. क्या जनसंख्या ग़रीबी के लिए ज़िम्मेदार है?: यह धारणा भी पूर्ण सत्य नहीं है। विश्व में कुछ लोगों के पास अत्यधिक संपत्ति केंद्रित है, जबकि बड़ी संख्या में लोग ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध, हथियारों की दौड़, साम्राज्यवादी नीतियां, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक असमानता भी ग़रीबी के प्रमुख कारण हैं।

6. क्या जनसंख्या नियंत्रण राष्ट्र के लिए हानिकारक है? : कुछ विचारकों के अनुसार जनसंख्या में अत्यधिक कमी से राष्ट्रों के सामने श्रम संकट, राष्ट्रीय पहचान का संकट, आर्थिक गिरावट और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। यूरोप के कई देशों में घटती जनसंख्या के कारण ऐसे प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।

ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में प्रवासन (Migration) के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तन भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। जनसंख्या नियंत्रण की अति से मानव संसाधन की कमी, आर्थिक असंतुलन और राष्ट्रीय प्रभाव में कमी जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

निष्कर्ष

जनसंख्या स्वयं में समस्या नहीं है, बल्कि वह एक संसाधन है। आवश्यकता इस बात की है कि जनसंख्या का न्यायपूर्ण, योजनाबद्ध और संतुलित उपयोग किया जाए। आर्थिक संसाधनों का समान वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार तथा नैतिक विकास—ये सभी किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति हैं।

राष्ट्रहित में सोचने वाले सभी लोगों को जनसंख्या संबंधी पश्चिमी प्रचारों से उत्पन्न भ्रांतियों को समझना चाहिए और देश को विश्व शक्ति बनाने के लिए मानव संसाधन के सही नियोजन और विकास की दिशा में कार्य करना चाहिए।■■

(वरिष्ठ अधिवक्ता, लेखक एवं समाज सेवी)

21वीं सदी का जनसांख्यिकीय भूकंप

❖अज़का हयात

इक्कीसवीं सदी मानव इतिहास के सबसे गहरे परिवर्तनों में से एक की साक्षी बन रही है। यह परिवर्तन केवल युद्धों, क्रांतियों या राजनीतिक बदलावों के माध्यम से नहीं, बल्कि जनसंख्या संरचना में हो रहे मौन परिवर्तनों के रूप में सामने आ रहा है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों, राजनीति और सामाजिक संरचनाओं को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को उचित रूप से "21वीं सदी का जनसांख्यिकीय भूकंप" कहा जा सकता है।

जिस प्रकार धरती के भीतर होने वाली टेक्टोनिक हलचलें धीरे-धीरे पूरे भूभाग का स्वरूप बदल देती हैं, उसी प्रकार जनसांख्यिकीय परिवर्तन भी धीरे-धीरे समाजों की नींव को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि, घटती प्रजनन दर, वृद्ध होती आबादी, बड़े पैमाने पर प्रवासन और तीव्र शहरीकरण आज मानव सभ्यता के स्वरूप को बदल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2025 तक विश्व की जनसंख्या 8.2 अरब से अधिक हो चुकी है।



(स्रोत: United Nations Population Division)

वैश्विक जनसंख्या परिवर्तन : एक नई वास्तविकता

बीसवीं सदी में दुनिया को जनसंख्या विस्फोट का भय था। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर घटती गई और जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। लेकिन इक्कीसवीं सदी की वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। आज दुनिया के कई देश जनसंख्या वृद्धि नहीं, बल्कि जनसंख्या घटने की समस्या से जूझ रहे हैं।

1950 के दशक में विश्व की औसत प्रजनन दर लगभग 5 बच्चे प्रति महिला थी, जो 2024 तक घटकर लगभग 2.25 रह गई है। जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक "प्रतिस्थापन स्तर" लगभग 2.1 माना जाता है। जापान, दक्षिण कोरिया, इटली, जर्मनी और चीन जैसे देशों में जन्मदर ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके विपरीत, अफ़्रीक़ा और दक्षिण एशिया के कुछ देशों में अब भी उच्च जनसंख्या वृद्धि जारी है। यही असंतुलन 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है।

वृद्ध होती आबादी

जनसांख्यिकीय परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है—विश्व की आबादी का तेज़ी से वृद्ध होना। स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण और चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के कारण औसत जीवन प्रत्याशा लगातार बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 में वैश्विक औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 73.3 वर्ष तक पहुंच चुकी है और 2050 तक इसके 77 वर्ष से अधिक होने की संभावना है। हालांकि यह मानव सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ अनेक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं। कई विकसित देशों में— बुज़ुर्ग आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, कार्यशील आयु वर्ग घट रहा है, पेंशन व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का ख़र्च बढ़ता जा रहा है।

परिणामस्वरूप रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। यूरोप के कई देशों में 60 वर्ष से अधिक आयु की आबादी कुल जनसंख्या की एक-चौथाई या उससे अधिक हो चुकी है। इस प्रकार मानव समाज की संरचना युवा

पिरामिड से वृद्ध स्तंभ में बदलती जा रही है।

शहरीकरण और मेगा शहरों का उदय

21वीं सदी का एक और बड़ा जनसांख्यिकीय परिवर्तन है—तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण। संयुक्त राष्ट्र की World Urbanization Prospects 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की लगभग 45 प्रतिशत आबादी अब शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जो 1950 की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। दिल्ली, टोक्यो, शंघाई, लागोस और ढाका जैसे मेगा शहर वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। अनियंत्रित शहरीकरण कई समस्याएं भी उत्पन्न कर रहा है जैसे आवास, प्रदूषण, जल संकट, आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण तथा झुग्गी-झोपड़ियों का विस्तार आदि।

गांवों से शहरों की ओर पलायन केवल स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवनशैली, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों का भी परिवर्तन है। मानव सभ्यता धीरे-धीरे ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता में परिवर्तित हो रही है।

जिस प्रकार धरती के भीतर होने वाली टेक्टोनिक हलचलें धीरे-धीरे पूरे भूभाग का स्वरूप बदल देती हैं, उसी प्रकार जनसांख्यिकीय परिवर्तन भी धीरे-धीरे समाजों की नींव को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि, घटती प्रजनन दर, वृद्ध होती आबादी, बड़े पैमाने पर प्रवासन और तीव्र शहरीकरण आज मानव सभ्यता के स्वरूप को बदल रहे हैं।संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2025 तक विश्व की जनसंख्या 8.2 अरब से अधिक हो चुकी है। (स्रोत: United Nations Population Division)

भारत और जनसांख्यिकीय अवसर

भारत आज वैश्विक जनसांख्यिकीय परिदृश्य के केंद्र में खड़ा है। UNFPA की State of World Population Report 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 146 करोड़ हो चुकी है और यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की कुल प्रजनन दर अब प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच चुकी है। वर्तमान अनुमान के अनुसार भारत की प्रजनन दर लगभग 1.9 है। फिर भी भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। लगभग 68% भारतीय कार्यशील आयु वर्ग (15–64 वर्ष) में आते हैं, जबकि लगभग 26% आबादी 10–24 वर्ष आयु वर्ग की है।

यह भारत के लिए "जनसांख्यिकीय लाभांश" (Demographic Dividend) का अवसर प्रदान करता है। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और कौशल विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, तो भारत आने वाले दशकों में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक बन सकता है। लेकिन यदि रोज़गार सृजन पर्याप्त नहीं हुआ, तो यही युवा आबादी सामाजिक तनाव और बेरोज़गारी का कारण भी बन सकती है।

भारत के भीतर भी क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असंतुलन बढ़ रहा है, दक्षिण भारत के कई राज्यों में जन्मदर बहुत कम हो चुकी है, जबकि कुछ उत्तरी राज्यों में अब भी अपेक्षाकृत अधिक प्रजनन दर बनी हुई है। यह स्थिति भविष्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधन वितरण और आंतरिक प्रवासन को प्रभावित कर सकती है।

प्रवासन और पहचान का प्रश्न

प्रवासन आज दुनिया के सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों में से एक बन चुका है। आर्थिक असमानता, युद्ध, जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या असंतुलन लाखों लोगों को सीमाओं के पार जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वृद्ध होती अर्थव्यवस्थाओं को श्रमिकों की आवश्यकता है, इसलिए वे प्रवासियों पर निर्भर होती जा रही हैं। लेकिन इसके साथ सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रीयता और सामाजिक समरसता को लेकर बहस भी तेज़ हो रही है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्रवासन, राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। इस प्रकार जनसांख्यिकीय परिवर्तन केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान और वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है।

तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य का श्रम बाज़ार

जनसांख्यिकीय परिवर्तन उसी समय हो रहा है जब दुनिया

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की क्रांति से गुज़र रही है। पहले बड़ी जनसंख्या को आर्थिक शक्ति माना जाता था, क्योंकि वह श्रम और सैन्य क्षमता प्रदान करती थी। लेकिन आज तकनीक इस समीकरण को बदल रही है। घटती आबादी वाले देश, रोबोटिक्स, स्वचालित उद्योग, AI आधारित सेवाओं और स्मार्ट तकनीकों पर निर्भर होते जा रहे हैं। वहीं युवा आबादी वाले देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है—अपने मानव संसाधन को कुशल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, क्योंकि भविष्य केवल प्रशिक्षित और उत्पादक मानव पूंजी का होगा।

जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या दबाव

जनसंख्या और पर्यावरण का संबंध आज पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है। बढ़ती आबादी के कारण जल, भोजन ऊर्जा, भूमि और आवास की मांग लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन सूखा, बाढ़, समुद्री स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन और "क्लाइमेट माइग्रेशन" की संभावना बढ़ रही है। आने वाले दशकों में जलवायु प्रवासन 21वीं सदी की सबसे बड़ी जनसांख्यिकीय चुनौतियों में से एक बन सकता है।

परिवार और सामाजिक संरचना में परिवर्तन

जनसांख्यिकीय बदलाव परिवार संस्था को भी प्रभावित कर रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में विवाह की आयु बढ़ रही है, परिवार छोटे हो रहे हैं, जन्मदर घट रही है, अकेले रहने वालों की संख्या बढ़ रही है, महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार में भागीदारी बढ़ रही है। आर्थिक दबाव, शहरी जीवनशैली और बदलती सामाजिक आकांक्षाओं ने पारंपरिक परिवार व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। आज का व्यक्ति समुदाय आधारित जीवन की बजाय अधिक व्यक्तिगत और तकनीक-केंद्रित जीवन की ओर बढ़ रहा है।

1950 के दशक में विश्व की औसत प्रजनन दर लगभग 5 बच्चे प्रति महिला थी, जो 2024 तक घटकर लगभग 2.25 रह गई है। जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक "प्रतिस्थापन स्तर" लगभग 2.1 माना जाता है। जापान, दक्षिण कोरिया, इटली, जर्मनी और चीन जैसे देशों में जन्मदर ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुँच चुकी है। इसके विपरीत, अफ़्रीका और दक्षिण एशिया के कुछ देशों में अब भी उच्च जनसंख्या वृद्धि जारी है। यही असंतुलन 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है।

निष्कर्ष

21वीं सदी का जनसांख्यिकीय भूकंप कोई दूर की संभावना नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है। वृद्ध होती आबादी, घटती जन्मदर, तीव्र शहरीकरण, प्रवासन, तकनीकी परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट मिलकर मानव सभ्यता को नए युग में प्रवेश करा रहे हैं। यह परिवर्तन आने वाले दशकों में राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और वैश्विक शक्ति संतुलन को गहराई से प्रभावित करेगा। जनसांख्यिकी केवल आंकड़ों का विषय नहीं है; यह मानव समाज के भविष्य की कहानी है—यह बताती है कि सभ्यताएं कैसे बदलती हैं, समाज कैसे विकसित होते हैं और आने वाली पीढ़ियां किस प्रकार की दुनिया विरासत में पाएंगी। भविष्य की विश्व व्यवस्था केवल सैन्य शक्ति या तकनीकी प्रगति से नहीं, बल्कि उन समाजों से तय होगी जो इस मौन किंतु शक्तिशाली जनसांख्यिकीय परिवर्तन को समझकर उसके अनुरूप स्वयं को ढाल सकेंगे।■■

संदर्भ (References) :

1. United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), World Population Prospects 2024
2. United Nations, World Urbanization Prospects 2025
3. UNFPA, State of World Population Report 2025
4. Our World in Data – Population & Demography Statistics
5. Nature Humanities & Social Sciences Communications – Population Age Structural Transition and Demographic Dividend in India

क़ौम के अहले- सर्वत और
अहले - ख़ैर हज़रात से
ख़ुसूसी अपील

यतीमख़ाना इस्लामिया गया आपके माली ताआवुन का मुंतज़िर है

109 साल की ख़िदमात



तआरुफ़ इदारा की बुनियाद अक्तूबर 1917 में एक उस्ताद और दो यतीम बच्चों से आठ आने (50 पैसे) माहवार किराया की कोठरी में Rs. 30 रुपये की छोटी-सी रक़म से पड़ी थी **तालीमी साल :** अप्रैल ता मार्च **तालीमी मराहिल :** इब्तिदाई, • सानवी, • आला, • शोबा-ए-हिफ़्ज़ व नाज़रा, • इनायत (I.T.I) • पांच जवानों में तालीम • अरबी • उर्दू • फ़ारसी • हिन्दी • अंग्रेज़ी • तादाद ज़ेरे-तालीम तलबा व तालिबात : तक़रीबन 450 **• तादाद कुल यतीम तलबा** 60 • बेरूनी तलबा, जो अपना ख़र्च देकर हॉस्टल में रहते हैं, उसके अलावा हैं। • तादाद तदरीसी व ग़ैर-तदरीसी स्टाफ़ : 28 **सालाना ख़र्च :** चालीस लाख (RS. 40,00,000) रुपये से ज़्यादा। **ज़रिया आमदनी :** मुस्लिम अवाम के चंदे। **ख़र्चे :** यतीम तलबा का सारा ख़र्च (तआम, क़ियाम, रिहाइश वग़ैरा बिल्कुल मुफ़्त [Free]) ये सारा ख़र्च इदारा पूरा करता है। किसी तरह का कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है। **याद रखें :** (1) यहां का कोई भी मुहस्सिल कमीशन या उजरत पर चंदा वसूल नहीं किया करता है। (2) पांच ज़बानों में क़ुरआन व इस्लामियात के साथ क्लास 1 से मैट्रिक (Matric) तक (जो बिहार बोर्ड से मंज़ूरशुदा है) मेयारी तालीम दी जाती है। • हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक का नज़्म (3) 108 साल से इदारा यतीम और ग़ैर-यतीम तलबा की इस्लामी माहौल में दीनी व असरी तालीम के साथ तालीमी व तरबियती ख़िदमात अंजाम दे रहा है। (4) इदारा ही के अहाते (Campus) में दो हरे-भरे पार्क के साथ शानदार मस्जिद, तालीमगाह, इक़ामतगाह, मतबख़ और दूसरे शोबे वग़ैरा हैं • इसलिए तलबा को कहीं आना-जाना नहीं पड़ता है। **किफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम तालिब-इल्म का सालाना ख़र्च तीस हज़ार रुपये RS. 30,000 है। आप भी इस कारे-सवाब में शरीक हों। • यहां के तलबा को मैट्रिक (Matric) पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनिवर्सिटी में आलिमियत के पहले व दूसरे साल में आसानी से दाख़िला मिल जाता है। (5) यतीमख़ाना से मैट्रिक पास करने वाले यतीम तलबा का दाख़िला यतीमख़ाना के इनायत (I.T.I.) में बिल्कुल मुफ़्त (Free) है। उनसे किसी तरह का कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है। पहले ही की तरह रहने-सहने और खाने-पीने की सारी सहूलियात दी जाती है। **अपील :** इस माद्दापरस्ताना (Materialistic) और जदीद दौर में दीनी व असरी उलूम के रिहाइशी (Residential) इदारों की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। • आप आसमान छूती महंगाई में इदारा की भरपूर माली मदद करें। तआवुन की मुख़्तलिफ़ शक्लें हैं जैसे • ज़कात • अतियात • सदकात वग़ैरा और इदारा के बाक़ी तालीमी व तामीरी मन्सूबों के लिए भी रुपये की बहुत ज़रूरत है। इदारा आपसे नन्हे-मुन्ने मासूम यतीम बच्चों को तालीम के साथ-साथ बाहुनर बनाने के लिए और उन्हें ऊंचा उठाने के लिए फ़राख़दिलाना माली तआवुन की अपील करता है।

नोट : इदारा की मुख़्तसर तारीख़ दस्तावेज़ी फ़िल्म (Documentary Film) नज़रे-इनायत (Nazr-e-Enayeth) यू-ट्यूब (You Tube) पर देखें।

चैक व ड्राफ़्ट और कोर बैंकिंग स्लिप पर सिर्फ़ यह लिखें : THE GAYA MUSLIM ORPHANAGAE

बराए राबिता चैक व ड्राफ़्ट और मनीऑर्डर भेजने का पता
Hon. Secretary, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE,
Cherki-824237, Distt. : Gaya (Bihar) India

Mobile : 9801213022, Whatsapp No. : 7258063440

Beneficiary Name
THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
Bank A/C No.: 300402010010581 (ज़कात/Zakat)
Bank A/C No.: 300402010002982 (डोनेशन/Donation)
Bank IFSC Code No: UBIN0530042
Bank: UNION BANK OF INDIA
(MAIN BRANCH GAYA)

Scan & Pay

याद रखें : बैंक में रक़म ट्रांसफ़र की तफ़्सील बराए-मेहरबानी स्कैन एंड पै पर (Scan & Pay) या किसी ज़रिये से रक़म ट्रांसफ़र के बाद स्क्रीन शॉट (Screen Shot) और नाम व पता ऊपर के व्हाट्सऐप नम्बर पर भेज दें ताकि रसीद भेजी जा सके।

इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ान (सदर)
9631867066

डॉक्टर जेड. एच. ख़ान
एज़ाज़ी सेक्रेट्री

E-mail : gmocde@yahoo.com.in
Website : www.gmogaya.in

पटना ब्रांच ऑफ़िस : पटना शहर के हमदर्द अपना चैक व ड्राफ़्ट और रक़म देने के लिए इनसे राबिता क़ायम करें।
जनाब ग़ुलाम मुहम्मद ख़ां (सदर) समनपूरा, पटना, मोबाइल : 9934943229
जनाब इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ां, समनपूरा, पटना, मोबाइल : 9631867066

दृष्टिकोण

जनसंख्या और भय की राजनीति

❖संपादन प्रभाग

[यह लेख श्रीनिवासन जैन, मरियम अलवी एवं सुप्रिया शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक 'Love Jihad and Other Fictions' के दूसरे अध्याय में प्रस्तुत विचारों और जनसांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित है।]

पिछले कुछ वर्षों में भारत के सार्वजनिक विमर्श में "पॉपुलेशन जिहाद" शब्द तेज़ी से उभरा है। यह शब्द केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि टीवी डिबेट, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सऐप संदेशों और चुनावी अभियानों का भी हिस्सा बन गया। इस अवधारणा के माध्यम से यह धारणा स्थापित करने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान सुनियोजित तरीक़े से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि भविष्य में भारत की जनसांख्यिकीय और राजनीतिक संरचना को बदल सकें। भय, आशंका और असुरक्षा की भावना पैदा करने वाला यह प्रपंच आज केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक विमर्श बन चुका है।

किन्तु जब इस दावे को भावनाओं के बजाय आंकड़ों और सामाजिक वास्तविकताओं की कसौटी पर परखा जाता है, तो तस्वीर काफ़ी अलग दिखाई देती है। "पॉपुलेशन जिहाद" का विचार वास्तविक तथ्यों से अधिक राजनीतिक प्रचार और मनोवैज्ञानिक भय पर आधारित है।

भय की राजनीति और जनसंख्या का प्रश्न

भारत में जनसंख्या हमेशा से एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक विषय रहा है। ग़रीबी, बेरोज़गारी, संसाधनों की कमी और विकास की चुनौतियों के साथ जनसंख्या का प्रश्न जुड़ा रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में इस विषय को धार्मिक पहचान से जोड़कर प्रस्तुत किया जाने लगा। यह कहा गया कि मुसलमान अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं, बहुविवाह कर रहे हैं और एक दीर्घकालिक योजना के तहत अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं।

इस प्रकार की बातें सामान्य नागरिक के मन में एक गहरे भय को जन्म देती हैं। जब बार-बार यह कहा जाए कि "एक दिन हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे", तो यह केवल एक आंकड़ा नहीं रह जाता बल्कि सामूहिक मानसिकता को प्रभावित करने वाला राजनीतिक नारा बन जाता है। यही कारण है कि "पॉपुलेशन जिहाद" की चर्चा केवल जनसंख्या तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सांप्रदायिक अविश्वास को भी जन्म देती है।

आंकड़े क्या कहते हैं?

जनसंख्या से जुड़ी बहस में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वास्तविक आंकड़े क्या बताते हैं। भारत की जनगणना रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) और विभिन्न जनसंख्या अध्ययनों के अनुसार भारत में सभी समुदायों की प्रजनन दर लगातार घट रही है। मुसलमानों में भी जन्म दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

एक समय ऐसा था जब हिंदू और मुस्लिम प्रजनन दरों के बीच अंतर अपेक्षाकृत अधिक था, लेकिन पिछले तीन दशकों में यह अंतर तेज़ी से कम हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा, शहरीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और महिलाओं की बढ़ती साक्षरता है। जिन राज्यों में शिक्षा और आर्थिक विकास बेहतर है, वहां लगभग सभी समुदायों में परिवार का आकार छोटा हुआ है।

यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि परिवार का आकार केवल धर्म से निर्धारित नहीं होता। यदि ऐसा होता तो समान सामाजिक परिस्थितियों में अलग-अलग समुदायों के बीच इतना साम्य दिखाई न देता। वास्तविकता यह है कि ग़रीब परिवार, चाहे किसी भी धर्म के हों, अधिक बच्चों की ओर झुकाव रखते हैं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक असुरक्षा उनकी जीवन परिस्थितियों को प्रभावित करती है।

क्या मुसलमान हिंदुओं से अधिक हो जाएंगे?

"पॉपुलेशन जिहाद" की राजनीति का सबसे बड़ा आधार यही भय है कि भविष्य में मुसलमान हिंदुओं से अधिक संख्या में हो जाएंगे। लेकिन जनसांख्यिकीय गणित इस दावे का समर्थन नहीं करता।

भारत की हिंदू आबादी आज भी मुस्लिम आबादी से कई गुना अधिक है। यदि किसी समुदाय की वृद्धि दर थोड़ी अधिक भी हो, तब भी कुल संख्या के स्तर पर इतने बड़े अंतर को समाप्त होने में बहुत लंबा समय लगेगा। इसके अतिरिक्त, जनसंख्या परिवर्तन के आधुनिक रुझान बताते हैं कि जैसे-

जैसे समाज विकसित होता है, जन्म दर धीरे-धीरे स्थिर होने लगती है।

इसलिए यह दावा कि हिंदू जल्द ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे, गणितीय और सांख्यिकीय दोनों दृष्टियों से अतिरंजित प्रतीत होता है। यह भय अधिकतर राजनीतिक भाषा में जीवित रहता है, न कि जनसंख्या विज्ञान के वास्तविक अध्ययनों में।

बहुविवाह का मिथक

इस विमर्श में अक्सर यह भी कहा जाता है कि मुसलमानों में बहुविवाह अधिक होने के कारण उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन विभिन्न सर्वेक्षणों और सामाजिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि भारत में बहुविवाह केवल किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रहा। कई शोधों में यह भी सामने आया कि कुछ अन्य समुदायों में बहुविवाह की दर मुसलमानों से अधिक रही है। इसके बावजूद सार्वजनिक विमर्श में केवल मुसलमानों को इस प्रश्न से जोड़ा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि उद्देश्य सामाजिक सुधार से अधिक राजनीतिक ध्रुवीकरण पैदा करना है।

मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका

आज के दौर में मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि जनमत निर्माण का सबसे बड़ा उपकरण बन चुका है। टेलीविज़न डिबेट में उत्तेजक भाषा, सोशल मीडिया पर वायरल संदेश और अधूरे आंकड़ों के साथ बनाए गए वीडियो जनसंख्या के प्रश्न को भावनात्मक संघर्ष में बदल देते हैं।

सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां सूचना की सत्यता से अधिक उसकी भावनात्मक शक्ति प्रभाव डालती है। यदि कोई संदेश भय पैदा करता है, तो वह अधिक तेज़ी से फैलता है। यही कारण है कि "पॉपुलेशन जिहाद" जैसे शब्द बार-बार दोहराए जाने के कारण लोगों के मन में वास्तविकता की तरह स्थापित होने लगते हैं।

धीरे-धीरे यह स्थिति बन जाती है कि लोग आधिकारिक आंकड़ों से अधिक व्हाट्सऐप संदेशों पर विश्वास करने लगते हैं। परिणामस्वरूप समाज में अविश्वास और दूरी बढ़ती है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

यह प्रवृत्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है। यूरोप और अमेरिका में भी "Great Replacement Theory" जैसी अवधारणाएं लोकप्रिय हुईं, जिनमें यह दावा किया गया कि प्रवासी और अल्पसंख्यक समुदाय मूल आबादी को "प्रतिस्थापित" कर देंगे। इसी प्रकार म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जनसंख्या संबंधी भय पैदा किया गया।

इतिहास बताता है कि जब भी किसी समाज में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता है, तब जनसंख्या और पहचान से जुड़े भय को उभारना आसान हो जाता है। बहुसंख्यक समुदाय को यह महसूस कराया जाता है कि उसकी संस्कृति, पहचान और भविष्य ख़तरे में हैं। इससे राजनीतिक लामबंदी आसान हो जाती है।

वास्तविक समस्या क्या है?

यदि भारत में जनसंख्या वास्तव में एक चुनौती है, तो उसका समाधान सांप्रदायिक आरोपों में नहीं बल्कि सामाजिक विकास में निहित है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सशक्तिकरण, रोज़गार और ग़रीबी उन्मूलन जैसे मुद्दे ही जनसंख्या संतुलन को प्रभावित करते हैं।

विश्व के लगभग सभी देशों का अनुभव यही बताता है कि जैसे-जैसे शिक्षा और आर्थिक विकास बढ़ते हैं, परिवार छोटे होते जाते हैं। इसलिए यदि जनसंख्या नियंत्रण की गंभीर चर्चा करनी है, तो उसका केंद्र सामाजिक न्याय और विकास होना चाहिए, न कि धार्मिक ध्रुवीकरण।

संविधान और सामाजिक सौहार्द

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी समुदाय को केवल उसकी जनसंख्या के आधार पर "ख़तरा" घोषित करना सामाजिक सौहार्द के लिए घातक हो सकता है।

इसलिए आवश्यक है कि जनसंख्या जैसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा तथ्यों, शोध और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर हो, न कि भय और प्रचार के आधार पर।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है "पॉपुलेशन जिहाद" का विमर्श आधुनिक भारत की उस राजनीति को दर्शाता है जिसमें जनसंख्या के प्रश्न को सांप्रदायिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जनसांख्यिकीय आंकड़े यह संकेत देते हैं कि भारत में सभी समुदायों की प्रजनन दर घट रही है और परिवार का आकार सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होता है, न कि केवल धर्म से।

इसलिए यह आवश्यक है कि समाज भय और अफ़वाहों के बजाय प्रमाण और वास्तविकता के आधार पर सोचने की आदत विकसित करे। जनसंख्या को यदि समस्या मानना है, तो उसका समाधान शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक समानता में तलाशना होगा। अन्यथा "जनसंख्या" केवल राजनीति का एक ऐसा उपकरण बन जाएगी, जो समाज को जोड़ने के बजाय लगातार विभाजित करती रहेगी। ■■

मूल प्रश्न : आबादी, अभाव या अन्याय ?

❖एफ़. ए. मुजीब

यह संसार केवल वस्तु, ऊर्जा और संयोगों का समूह नहीं है, बल्कि एक अद्भुत व्यवस्था, संतुलन और न्याय का जीवंत उदाहरण है। पृथ्वी अपनी निश्चित गति से घूम रही है, सूर्य अपने निर्धारित मार्ग पर स्थिर है, समुद्र अपनी सीमाओं में बंधे हैं, वर्षा एक संतुलित क्रम में होती है, हवा एक निश्चित अनुपात में बहती है और जीवन का पूरा तंत्र ऐसी सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था पर आधारित है कि यदि इसमें थोड़ा भी असंतुलन आ जाए तो पूरी दुनिया अराजकता और विनाश का शिकार हो सकती है। स्पष्ट है कि इस सृष्टि की नींव ही न्याय, संतुलन और व्यवस्था पर रखी गई है।



मनुष्य भी इसी सार्वभौमिक व्यवस्था का हिस्सा है। उसे पृथ्वी पर केवल रहने के लिए नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदार प्राणी के रूप में भेजा गया है ताकि वह संतुलन बनाए रखे, न्याय स्थापित करे, संसाधनों को एक अमानत समझे और जीवन को सामूहिक कल्याण के सिद्धांत पर चलाए। लेकिन जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, लालच, शक्ति और वर्गीय हितों को ईश्वर के सार्वभौमिक सिद्धांतों से ऊपर रख देता है, तब वही दुनिया, जो शांति और समृद्धि का केंद्र बन सकती थी, अन्याय, शोषण और संकट का मैदान बन जाती है।

आज "आबादी की समस्या" भी इसी बड़े मानवीय संकट का हिस्सा है। सामान्यतः यह माना जाता है कि जनसंख्या वृद्धि ही ग़रीबी, भूख, बेरोज़गारी और संसाधनों की कमी की मुख्य वजह है। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो वास्तविक समस्या केवल आबादी नहीं, बल्कि "मानवीय व्यवस्था में अन्याय" है। पृथ्वी पर संसाधनों की कमी से अधिक, उनका असमान और अन्यायपूर्ण वितरण ही असली संकट है।

सच्चाई यह है कि ईश्वर ने इस पृथ्वी में वर्तमान वैश्विक आबादी से कहीं अधिक लोगों के लिए संसाधन उपलब्ध कराए हैं। धरती की उर्वरता, समुद्रों की विशालता, जल स्रोत, खनिज संपदा, ऊर्जा के साधन और आधुनिक तकनीक की क्षमता इस बात का प्रमाण हैं कि समस्या "संसाधनों की कमी" नहीं, बल्कि "न्याय की कमी" है। आज भी दुनिया में इतनी खाद्य सामग्री पैदा होती है कि पूरी मानवता का पेट भरा जा सके, लेकिन एक ओर करोड़ों टन भोजन बर्बाद कर दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर लाखों लोग भूख और कुपोषण से पीड़ित रहते हैं। कहीं पानी व्यापार का साधन बन गया है और कहीं पूरी बस्तियां एक बूंद पानी के लिए तरस रही हैं। यह संकट मनुष्यों की संख्या का नहीं, बल्कि संसाधनों पर कुछ शक्तिशाली वर्गों के क़ब्जे का है।

दुनिया के कुछ ताक़तवर देश, बड़ी कंपनियां और पूंजीवादी समूह भूमि, अर्थव्यवस्था, व्यापार और खाद्य व्यवस्था के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। एक ओर कुछ प्रतिशत लोग दुनिया की अधिकांश संपत्ति के मालिक हैं, जबकि दूसरी ओर करोड़ों लोग बुनियादी इलाज, शिक्षा और आवास से वंचित हैं। यदि आबादी ही मूल समस्या होती, तो कम आबादी वाले सभी देश समृद्ध होते। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई कम जनसंख्या वाले देश भी ग़रीबी, युद्ध और कुप्रबंधन से जूझ रहे हैं, जबकि कई अधिक आबादी वाले देश विकास और उत्पादन की शक्ति बन चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या संख्या नहीं, बल्कि व्यवस्था, चेतना और न्याय की है।

ईश्वर ने मनुष्य को समान प्राकृतिक स्थिति में पैदा किया है। कोई बच्चा धन, सत्ता या संसाधन लेकर जन्म नहीं लेता।

हर इंसान सांस, भूख, सम्मान और जीवन के अधिकार के साथ दुनिया में आता है। लेकिन बाद में समाज वर्गों, जातियों, नस्लों और सत्ता के ढांचों में बंट जाता है। कुछ लोग भूमि, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर इस तरह क़ब्ज़ा कर लेते हैं जैसे सब कुछ उनकी निजी संपत्ति हो, जबकि बाक़ी लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यही वह स्थिति है जहां आबादी का प्रश्न वास्तव में "मानवीय अन्याय" और "सामूहिक असमानता" का रूप ले लेता है।

आज बढ़ती झुग्गियां, बेरोज़गारी, अपराध और प्रदूषण को केवल आबादी पर थोप देना आसान है, लेकिन यह नहीं देखा जाता कि योजनाएं क्यों विफल हुईं ? शिक्षा असमान क्यों है? गांव पिछड़े क्यों रखे गए? संपत्ति कुछ हाथों में क्यों सिमट गई? और संसाधनों के वितरण में न्याय क्यों समाप्त हो गया?

दुनिया के कुछ ताकतवर देश, बड़ी कंपनियां और पूंजीवादी समूह भूमि, अर्थव्यवस्था, व्यापार और खाद्य व्यवस्था के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। एक ओर कुछ प्रतिशत लोग दुनिया की अधिकांश संपत्ति के मालिक हैं, जबकि दूसरी ओर करोड़ों लोग बुनियादी इलाज, शिक्षा और आवास से वंचित हैं। यदि आबादी ही मूल समस्या होती, तो कम आबादी वाले सभी देश समृद्ध होते। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई कम जनसंख्या वाले देश भी गरीबी, युद्ध और कुप्रबंधन से जूझ रहे हैं, जबकि कई अधिक आबादी वाले देश विकास और उत्पादन की शक्ति बन चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या संख्या नहीं, बल्कि व्यवस्था, चेतना और न्याय की है।

ईश्वर की सृष्टि में हर चीज़ संतुलन के साथ बनाई गई है। जंगल कार्बन को अवशोषित करते हैं, समुद्र मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा धरती को जीवित रखती है, और यदि मनुष्य न्यायपूर्ण जीवन जिए तो पृथ्वी सभी के लिए पर्याप्त हो सकती है। लेकिन जब लालच, अपव्यय, जमाख़ोरी और शोषणकारी अर्थव्यवस्था हावी हो जाती है, तब संसाधन कम पड़ने लगते हैं। इसलिए संकट "आबादी" पैदा नहीं करती, बल्कि "अन्यायपूर्ण व्यवस्था" पैदा करती है।

यह भी सत्य है कि असंतुलित जनसंख्या वृद्धि कुछ वास्तविक चुनौतियां उत्पन्न करती है। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और योजना व्यवस्था कमज़ोर हो तो तेज़ी से बढ़ती आबादी राज्य और समाज पर दबाव डालती है। लेकिन इसका समाधान इंसानों को बोझ समझना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर इंसान बनाना है। शिक्षित, स्वस्थ, नैतिक और कुशल आबादी किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताक़त होती है। समस्या संख्या नहीं, बल्कि अवसरों और प्रशिक्षण की कमी है।

यहीं पर इस्लाम की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में सामने आती है। इस्लाम संपत्ति को कुछ हाथों में सीमित रखने के बजाय उसके प्रवाह और वितरण का सिद्धांत देता है। ज़कात, दान, सदक़ा, विरासत और ब्याज-मुक्त अर्थव्यवस्था वास्तव में सामाजिक न्याय के स्तंभ हैं। ज़कात केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ऐसा आर्थिक तंत्र है जो संपत्ति के केंद्रीकरण को तोड़ता है और समाज के कमज़ोर वर्गों को सहारा देता है। दान और परोपकार मनुष्य को यह एहसास कराते हैं कि धन उसकी निजी संपत्ति नहीं, बल्कि एक अमानत है जिसमें दूसरों का भी अधिकार शामिल है।

यदि दुनिया में संसाधनों और संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण हो जाए, तो ग़रीबी, भूख और बेबसी को काफ़ी हद तक समाप्त किया जा सकता है। इस्लामी आर्थिक दृष्टि यही कहती है कि संपत्ति कुछ परिवारों, कंपनियों या शक्तिशाली वर्गों के बीच सीमित न रहे, बल्कि पूरे समाज तक पहुंचे। यही न्याय और संतुलन ईश्वर की सृष्टि का भी मूल सिद्धांत है।

अंततः, पृथ्वी पर असली संकट मनुष्यों की संख्या नहीं, बल्कि न्याय की कमी है। जब न्याय समाप्त होता है, तो संसाधन भी कम पड़ने लगते हैं, समाज बिखरने लगता है और इंसान एक-दूसरे के लिए ख़तरा बन जाते हैं। लेकिन जहां संतुलन, न्याय और ज़िम्मेदारी क़ायम हो, वहां यही मनुष्य धरती को आबाद भी करते हैं, ज्ञान भी उत्पन्न करते हैं, समृद्धि भी बढ़ाते हैं और दुनिया को बेहतर भी बनाते हैं। ईश्वर की सृष्टि का संदेश भी यही है कि जीवन संतुलन से चलता है, और जब मनुष्य इस संतुलन को स्वीकार कर लेता है, तब धरती पर अराजकता नहीं बल्कि शांति और करुणा का वातावरण बनता है।■■

आजीविका का संतुलन एक परम सत्ता के अधीन

❖संपादन प्रभाग

बर्थ कंट्रोल (Birth Control) परिवार नियोजन (Family Planning) या नियोजित पितृत्व (Planned Parenthood) एक ही क्रिया के विभिन्न नाम हैं जिसका मूल उद्देश्य संसार में मनुष्य की आबादी को कम-से-कम करना है। इसके लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई जाती रही हैं। ये योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर भी बन रही हैं और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। जनसंख्या को ख़ुशहाली के प्रतिकूल समझने वाले 225 साल पुराने माल्थस के सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत ख़तरों के आधार पर इसकी शुरुआत की गई। माल्थस के प्रस्तुत किए हुए ख़तरे व्यावहारिकता की कसौटी पर कबके ग़लत साबित हो चुके हैं, क्योंकि माल्थस को केवल खाने वाले मुंह दिखाई देते हैं उत्पादन करने वाले हाथ नहीं। सवाल उठता है कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आशंकाएं ग़लत साबित हो जाने के बाद भी इतनी प्रबल क्यों हैं?

वास्तव में इस प्रकार की योजनाएं ऐसे लोगों के हाथों आरंभ की गईं, जो यह समझ बैठे हैं कि यह सृष्टि अपने आप बन गई और अपने आप चल रही है। संसार में मनुष्य भी इसी प्रकार पैदा हो जाते हैं। अतः जो लोग अपने मां-बाप की मूर्खता के कारण, पहले पैदा हो चुके हैं, उनकी बुद्धिमत्ता का तक़ाज़ा है कि वे अपने बाद आने वालों के लिए सारे रास्ते बन्द कर दें।

इसके विपरीत ऐसे लोग, जो यह विश्वास रखते हैं कि इस विश्व तथा मनुष्यों को भी एक सर्वज्ञ विधाता ने उत्पन्न किया है। वह विधाता भली प्रकार जानता है कि संसार के किस देश में और संस्कृति के किस स्तर तक पहुंचने पर किस युग में उसके संसार को चलाने के लिए किस-किस प्रकार के कितने लोगों की आवश्यकता है।

बर्थ कंट्रोल संसार में फैल चुका है। इसका प्रचार-प्रसार एक आन्दोलन के रूप में किया जा रहा है। वर्तमान में इसका संरक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथों में है और सारे संसार को विशेष रूप से एशिया तथा अफ़्रीक़ा के देशों से इसको अपनाने व जनप्रिय बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

अनेक सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ कि बर्थ-कंट्रोल ने समाज में यौन अराजकता के माहौल को जन्म दिया है। यौन अराजकता हर हाल में धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के पतन का कारण बनती है।

भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

भारतवर्ष यूं तो संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस दृष्टि से उसे आधारभूत महत्व प्राप्त है। इस देश के प्राचीन इतिहास से लेकर आज तक की दशा एवं स्वभाव का अध्ययन बताता है कि इस देश की अंतरात्मा ही में धार्मिकता के तत्व सम्मिलित रहे हैं।

इस देश में सदा ही से संसार को मायाजाल माना गया है। उच्च नैतिक मूल्य, आत्मिक पवित्रता एवं आत्मसंयमता इसकी सांस्कृतिक विशेषता रही है। इन विशिष्ट गुणों की पकड़ भारतीय समाज, यहां की संस्कृति तथा लोगों की चेतनाओं पर इतनी प्रबल है कि दो सौ वर्षीय अंग्रेज़ी शासनकाल में उनके नास्तिक दर्शनों की शिक्षा भी इन विशेषताओं से भारतवर्ष को वंचित नहीं कर सकी।

हमारी यही वे आधारभूत विशेषताएं हैं जो आज भी हमारे देश की रक्षक बनी हुई हैं। अन्यथा यह देश भी उन नैतिक बीमारियों में ग्रसित हो चुका होता, जिनसे आज यूरोपीय देश ग्रसित हैं।

भारतीय समाज में परिवार, धर्म और संतान का महत्वपूर्ण स्थान

भारतीय संस्कृति की रग-रग में आत्मा की भांति धार्मिकता प्रवाहित है। इस देश में दो सबसे बड़े धर्म, हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म आबाद हैं। दोनों ही इस संसार तथा मानव को ईश्वर की कृति होने पर विश्वास रखते हैं।

दोनों इस बात पर भी विश्वास रखते हैं कि संतान ईश्वर की अमानत और उसकी देन है। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि प्रत्येक बच्चा अपनी आजीविका लेकर स्वयं पैदा होता है तथा दोनों आने वाले बच्चों को रोकना घोर पाप समझते हैं।

ये इतनी दृढ़ आस्थाएं हैं जिनके कारण बर्थ-कंट्रोल

का अभियान यहां सर्वमान्य एवं लोकप्रिय नहीं हो रहा है। इसलिए कि इस देश में जनसाधारण के धर्म एवं नैतिकता को छेड़े बिना इस अभियान को जारी रखने का प्रयत्न किया जा रहा है।

इस्लामी दृष्टिकोण

जो लोग यह विश्वास रखते हैं कि इस सृष्टि तथा मनुष्यों को एक सर्वज्ञ विधाता ने उत्पन्न किया है। वह विधाता जिसको संसार में भेजता है, उसकी आजीविका की भी पूरी व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। ऐसे लोग जनसंख्या संबंधी काल्पनिक दर्शन और षड्यंत्रकारी आंदोलन में कोई आकर्षण महसूस नहीं करते।

बल्कि ऐसे लोग आधुनिक विज्ञान के अनुसंधानों और आविष्कारों को देखते हैं तो उनके विश्वास में और अधिक दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है और ईश्वर की असाधारण क्षमता, उसकी तत्वदर्शिता और सर्वज्ञता पर दृढ़विश्वास हो जाता है।

सृष्टि का संतुलन एक व्यापक व्यवस्था के अधीन है

उसने (ईश्वर ने) इस सीमित क्षेत्र (पृथ्वी) पर भांति-भांति के जीवों को पैदा किया है, जिनमें से प्रत्येक के अन्दर प्रजनन क्रिया की ऐसी अपार शक्ति है कि यदि केवल एक ही प्रकार बल्कि कुछ क़िस्मों के केवल एक जोड़े की नस्ल को वह पूरी शक्ति के साथ बढ़ने दे तो एक अल्प अवधि के अन्दर संपूर्ण पृथ्वी तल केवल उसी नस्ल से पट जाए तथा किसी दूसरी नस्ल के लिए रत्ती भर स्थान शेष न रहे।

स्टार फिश (Star Fish) एक प्रकार की मछली, जो एक बार में बीस करोड़ अंडे देती है। यदि उसकी केवल एक इकाई को अपनी पूरी नस्ल बढ़ाने का अवसर मिल जाए तो तीसरी-चौथी पीढ़ी तक पहुंचते-पहुंचते पूरे संसार के समुद्र उससे लबालब भर जाएं तथा उनमें पानी की एक बूंद की भी जगह शेष न रहे।

दूर क्यों जाते हैं, स्वयं मनुष्य ही की प्रजनन शक्ति को देख लीजिए। एक व्यक्ति के शरीर से एक समय में जो वीर्य निकलता है उससे एक ही समय तीस-चालीस करोड़ औरतें गर्भधारण कर सकती हैं। यदि केवल एक ही पुरुष की पूरी प्रजनन-क्षमता को सक्षम रूप से क्रियान्वित होने का अवसर मिल जाए तो कुछ वर्षों में पूरी पृथ्वी उसकी संतान से खचाखच भर जाए।

परन्तु, वह कौन है जो हज़ारों-लाखों वर्षों से पृथ्वी पर उन अनगिनत क़िस्मों को इस प्रबल प्रजनन-शक्ति के साथ उत्पन्न कर रहा है तथा किसी क़िस्म को भी उसकी सुनिश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता?

प्रत्येक जीव की आजीविका का संतुलन प्रकृति के नियमों से जुड़ा है

वह कौन है जिसने जीवन-शक्ति के इस ख़ज़ाने पर नियंत्रक बहाल कर रखे हैं? वह कौन है जो इस ख़ज़ाने से तरह-तरह के जीवधारी निकाल रहा है तथा ऐसे सही अनुपात से निकाल रहा है कि न उसमें कभी अधिकता होती है न कमी? वह जिसको संसार में भेजता है, उसकी आजीविका की भी पूरी व्यवस्था करने की क्षमता रखता है।

यदि भारत की बात की जाए तो देश में खाद्यान्न संकट की कोई भी संभावना दूर-दूर तक नज़र नहीं आती। साथ ही इसमें और अधिक वृद्धि की अपार संभावनाएं अभी मौजूद हैं। अब यह निर्णय लेना जनता तथा हमारी लोकतांत्रिक सरकार का कार्य है कि उसे अपनी परिस्थितियों को सामने रखकर बर्थ-कंट्रोल के मामले में क्या निर्णय लेना है? सैकड़ों वर्ष के पश्चात वैचारिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में मानवजाति के मार्गदर्शन व नेतृत्व का जो सुअवसर हमारे हाथ आने की संभावना उत्पन्न हो रही है, उससे वंचित रहना विवेकशीलता एवं दूरदर्शिता का तक़ाज़ा नहीं है।■■

संदर्भ सूची

1. प्रो. उमर हयात खां ग़ौरी की पुस्तक "बर्थ-कंट्रोल के घातक परिणाम"

2. "इस्लाम और बर्थ-कंट्रोल" — मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी (रह०), पृष्ठ 122-124

3. माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत (Malthusian Theory of Population) — थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत

प्रिय पाठको!

'कान्ति' मासिक का यह अंक आपकी सेवा में सादर प्रस्तुत है, पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत है। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। कृपया अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते रहें। —संपादक

हादसे या व्यवस्था की विफलता ?

दिल्ली में भीषण आग लगने की हालिया घटनाओं ने जहां सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं, वहीं इसने संकट की घड़ी में मानवता, साहस और सामाजिक एकजुटता के प्रेरक उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। 3 जून 2026 को दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में हुए भीषण अग्निकांड में 22 लोगों की मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक घटना के बीच राहत और बचाव कार्य में कई स्थानीय नागरिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सहायता की। इनमें श्री रियाज़ुद्दीन मंसूरी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने असाधारण साहस, त्वरित सूझबूझ और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आग में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप एक दर्जन से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकी। उनके साथ क्षेत्र के पांच-छह मुस्लिम युवकों ने भी बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के इस जोखिमपूर्ण अभियान में भाग लिया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जहां व्यवस्था की कमज़ोरियां कभी-कभी जीवन को संकट में डाल देती हैं, वहीं समाज के भीतर मौजूद मानवीय मूल्य और पारस्परिक सहयोग अनेक लोगों के लिए जीवनरक्षक बन जाते हैं।



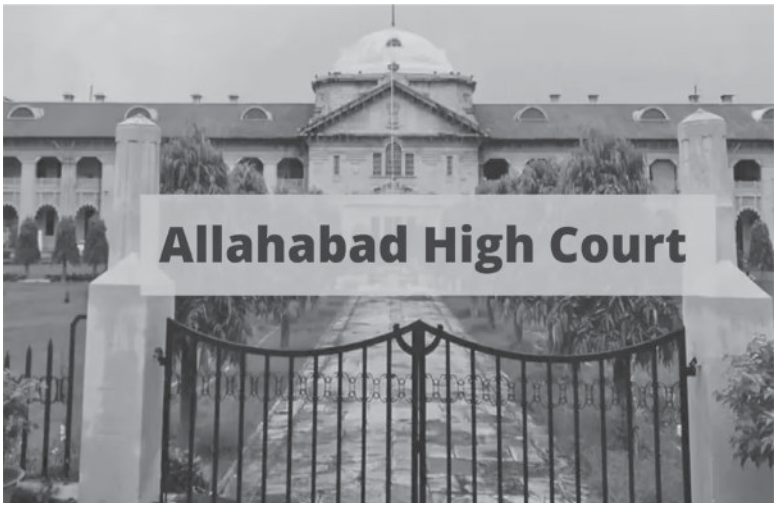
हाल के वर्षों में आग लगने, गैस रिसाव, शॉर्ट-सर्किट, एसी कम्प्रेशर फटने और निर्माणाधीन ढांचों के ढहने जैसी घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इन घटनाओं का एक साझा पहलू है—सुरक्षा मानकों की अनदेखी। चाहे बहुमंज़िला इमारतें हों, आवासीय सोसाइटियां, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या सार्वजनिक निर्माण परियोजनाएं, अधिकांश स्थानों पर सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन केवल काग़ज़ों तक सीमित दिखाई देता है।

किसी भी आधुनिक शहर की पहचान केवल ऊंची इमारतों और विकसित बुनियादी ढांचे से नहीं होती, बल्कि उन व्यवस्थाओं से होती है जो नागरिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। यदि आग बुझाने के उपकरण निष्क्रिय पड़े हों, विद्युत प्रणाली की नियमित जांच न होती हो, गैस भंडारण के मानकों का पालन न किया जाता हो और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर निगरानी न रखी जाती हो, तो विकास का पूरा मॉडल ही प्रश्नों के घेरे में आ जाता है।

प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन तकनीकी ख़राबी, निर्माण संबंधी त्रुटियां और अग्नि सुरक्षा की विफलताएं ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान प्रभावी नियमन, नियमित निरीक्षण और जवाबदेही से किया जा सकता है। प्रश्न केवल क़ानून बनाने का नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करने का है।

दिल्ली की त्रासदी केवल एक आगज़नी की घटना नहीं, बल्कि सुरक्षा संस्कृति के अभाव और नियामक तंत्र की कमज़ोरी का सबूत है। जब तक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को गंभीर अपराध नहीं माना जाएगा और निरीक्षण व्यवस्था को पारदर्शी एवं जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तब तक ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं हैं। किसी भी सभ्य समाज में मानव जीवन की क़ीमत सबसे अधिक होनी चाहिए; यदि व्यवस्था इसे सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि नैतिक विफलता भी है। अब समय शोक व्यक्त करने से आगे बढ़कर जवाबदेही तय करने और स्थायी सुधार लागू करने का है, क्योंकि हर टाली जा सकने वाली मृत्यु व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी का गहरा संदेश



हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर की गई टिप्पणी केवल एक मुक़दमे तक सीमित न्यायिक अवलोकन नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की उस मूल चिंता को सामने लाती है जिसमें राज्य की संस्थाओं की निष्पक्षता और संवैधानिक जवाबदेही का प्रश्न निहित है।

न्यायालय ने जिस स्पष्टता से यह कहा कि कुछ अधिकारी संविधान के बजाय सत्ताधारी दल के प्रति अधिक निष्ठावान दिखाई देते हैं, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। संविधान ने पुलिस और प्रशासन को किसी राजनीतिक दल का उपकरण नहीं, बल्कि कानून के शासन (Rule of Law) का संरक्षक बनाया है। यदि नियुक्तियों, तबादलों और पदोन्नतियों का आधार योग्यता के स्थान पर राजनीतिक निकटता बन जाए तो संस्थागत निष्पक्षता स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है।

राजेंद्र त्यागी प्रकरण में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति पर गंभीर क़ानून लगाने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं। केवल आपराधिक आरोपों की उपस्थिति किसी व्यक्ति को गैंगस्टर सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। न्यायालय का यह दृष्टिकोण नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कठोर क़ानूनों का मनमाना प्रयोग लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

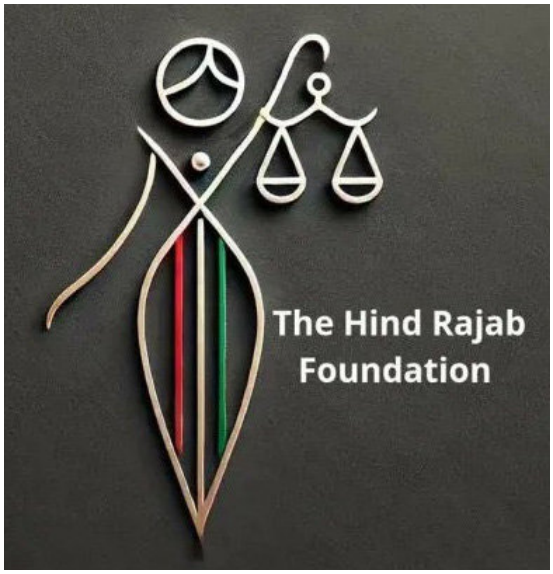
हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि न्यायालय की टिप्पणियां संपूर्ण पुलिस बल पर आरोप नहीं हैं। पुलिस व्यवस्था में बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी भी हैं जो कठिन परिस्थितियों में निष्पक्ष और समर्पित सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए इस टिप्पणी को पूरे तंत्र की निंदा के रूप में नहीं, बल्कि संस्थागत सुधार की आवश्यकता के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर द्वारा व्यक्त की गई "सामंती मानसिकता" संबंधी चिंता भी विचारणीय है। स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का आधार जनसेवा और संवैधानिक उत्तरदायित्व है, न कि सत्ता के प्रति व्यक्तिगत वफ़ादारी। जब राज्य संस्थाएं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय सत्ता-संतुलन के उपकरण के रूप में देखी जाने लगें, तब लोकतंत्र की आत्मा कमज़ोर होने लगती है। इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन संविधान स्थायी रहता है। किसी भी अधिकारी की पहली और अंतिम निष्ठा संविधान, क़ानून और जनता के प्रति होनी चाहिए। न्यायपालिका ने इसी मूल सिद्धांत की पुनः याद दिलाई है।

यह फ़ैसला केवल गैंगस्टर एक्ट की एक कार्यवाही रद्द करने का आदेश नहीं है, बल्कि शासन और प्रशासन को यह स्मरण कराने वाला निर्णय है कि राज्य की शक्ति का प्रयोग क़ानून के दायरे में और नागरिक अधिकारों के सम्मान के साथ ही होना चाहिए। यदि न्यायालय की इन टिप्पणियों को सुधार के अवसर के रूप में लिया जाए तो यह प्रशासनिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम सिद्ध हो सकता है।

युद्ध अपराध, अंतरराष्ट्रीय न्याय और भारत की ज़िम्मेदारी

हिमाचल प्रदेश में एक इज़रायली नागरिक और कथित पूर्व सैनिक की मौजूदगी को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून, युद्ध अपराधों की जवाबदेही और भारत की क़ानूनी प्रतिबद्धताओं पर बहस को तेज़ कर दिया है। बेल्जियम स्थित हिंद रजब फाउंडेशन द्वारा इज़रायली नागरिक ईतान गिलबोआ के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायत केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों का मामला नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक प्रश्न को सामने लाती है कि क्या युद्ध अपराधों के आरोपों से घिरे व्यक्तियों को दुनिया के किसी भी हिस्से में क़ानूनी जांच का सामना करना चाहिए।



फाउंडेशन का दावा है कि गिलबोआ ग़ाज़ा पट्टी में रिहाइशी क्षेत्रों को ध्वस्त करने की सैन्य कार्रवाइयों में शामिल रहे हैं और इसके समर्थन में वीडियो तथा अन्य डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं। दूसरी ओर, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत यही है कि अपराध के आरोपों की निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रमाण-आधारित जांच हो तथा आरोपित को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिले।

इस प्रकरण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष भारत की भूमिका है। भारत जिनेवा कन्वेंशनों का हस्ताक्षरकर्ता देश है और उसने अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बार-बार दोहराई है। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध अपराधों के विश्वसनीय और प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो संबंधित एजेंसियों का दायित्व बनता है कि वे उन आरोपों का विधिसम्मत परीक्षण करें। हालांकि किसी भी कार्रवाई का आधार केवल राजनीतिक दबाव या जनभावना नहीं, बल्कि क़ानूनी मानदंड और उपलब्ध साक्ष्य होने चाहिए।

यह मामला ग़ाज़ा संघर्ष से जुड़े उन व्यापक प्रश्नों को भी उजागर करता है जिन पर दुनिया विभाजित दिखाई देती है। एक पक्ष सैन्य कार्रवाई को सुरक्षा आवश्यकता के रूप में देखता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे नागरिक आबादी के विरुद्ध अत्यधिक और असंगत बल प्रयोग मानता है। ऐसे वातावरण में न्याय और जवाबदेही की मांग केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय आवश्यकता बन जाती है।

हिंद रजब फाउंडेशन का नाम जिस पांच वर्षीय बच्ची हिंद रजब की स्मृति से जुड़ा है, उसकी मृत्यु ने दुनिया भर में युद्ध के मानवीय परिणामों पर गंभीर चर्चा को जन्म दिया था। यही कारण है कि ग़ाज़ा से जुड़ी हर नई क़ानूनी या राजनीतिक पहल अंतरराष्ट्रीय जनमत का विषय बन जाती है।

ईतान गिलबोआ के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर हैं और यदि प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय पाए जाते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच अवश्य होनी चाहिए। साथ ही, न्याय का तक़ाज़ा यह भी है कि किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने से पहले अपराधी घोषित न किया जाए। भारत के लिए यह मामला एक परीक्षा की तरह है—क्या वह अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और विधि के शासन के सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित कर पाता है।

इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि युद्ध चाहे कहीं भी हो, उसके परिणाम सीमाओं में बंधे नहीं रहते। जब नागरिकों की मृत्यु, विस्थापन और मानवीय त्रासदी के आरोप सामने आते हैं, तब न्याय की मांग भी वैश्विक हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय क़ानून का वास्तविक महत्व तभी सिद्ध होगा जब उसकी कसौटी मित्र और शत्रु, दोनों पर समान रूप से लागू की जाए।

एक अपील, एक ऐलान और तआरुफ़

आपकी ख़ुसूसी तवज्जह का सब से ज़्यादा मुस्तहिक़

40 साल की ख़िदमात

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना गया



कैफ़ियते-क़ियाम : इदारा का तीन यतीम लड़कियों से 21 दिसम्बर 1986 को एक किराया के खपरैल मकान में क़ियाम अमल में आया था, जो कभी साँप, बिच्छू और चिड़ियों का बसेरा था—बक़ौल अल्लामा इक़बाल (रह.) "इश्क़ ने आबाद कर डाले हैं दश्त-ओ-कोहसार"

हिन्दुस्तान की रियासत बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा (ओडीशा) में अपने तर्ज़ की पहली और वाहिद इक़ामती दीनी व असरी उलूम की मशहूर तालीमगाहें (Residential) जो इस्लामी और असरी उलूम का संगम होने की वजह से मशहूर है। • इदारा बुनियाद के दिन से ही सही इस्लामी ख़ुतूत पर यतीम के साथ-साथ ग़रीब और ग़ैर-यतीम तालिबात की तालीमी व तर्बियती ख़िदमात अंजाम दे रहा है। • यहां की तालिबात को मैट्रिक (Matric) पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनिवर्सिटी में पहले और दूसरे साल में बाआसानी दाख़िला मिल जाता है। • शोबा-ए-हिफ़्ज़ की तालिबा को भी हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक (Matric) तक पढ़ाया जाता है। • पांच ज़ुबानों में क़ुरआन और इस्लामियात और बिहार बोर्ड के निसाबे-तालीम के साथ मेयारी तालीम का नज़्म है। • **तालीमी साल** अप्रैल ता मार्च, • इदारा के अहाता (Campus) में ही पर्दे (Purdah) में रहकर नर्सरी (Nursery) से मैट्रिक (Matric) तक की तालीम, होम साइंस, उमोरे-ख़ानादारी, सिलाई-कटाई, मेहंदी व पेंटिंग और कम्प्यूटर की तालीम वग़ैरा दी जाती है। इसके लिए बच्चियों को कहीं आना-जाना नहीं पड़ता। • **तालीमी मराहिल** • इब्तिदाई • सानवी • आला • फ़ासलाती तालीम • शोबा हिफ़्ज़ व नाज़रा **यतीम तालिबात की तादाद** 75 है। **नोट** यतीम तालिबात का सारा ख़र्च, तआम व क़ियाम व रिहाइश वग़ैरा बिल्कुल मुफ़्त (Free) है किसी तरह का कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है। **बैरूनी तालिबात की तादाद** अपने ख़र्च पर दारुल अक़ामा (Boarding) में रहकर तालीम हासिल करने वाली और दूसरे गांव से पढ़कर जाने वाली लगभग 100 हैं। **किफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम बच्ची का सालाना ख़र्च तीस हज़ार रुपये (Rs. 30,000) है। आप भी एक यतीम बच्ची की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेकर सवाब में शरीक हों। **असातिज़ा, मुअल्लिमात और दीगर मुलाज़िमीन की तादाद** 33 है। एक माह की तनख़्वाह एक लाख अस्सी हज़ार रुपये (Rs. 1,80,000) से ज़्यादा है। **सालाना ख़र्च** तक़रीबन पैंतालिस लाख रुपये (Rs. 45,00,000)। **ज़रिया आमदनी** मुस्लिम अवाम के चंदे **अपील** आज के माद्दापरस्ताना (Materialistic) और जदीद दौर में लड़कियों के लिए जदीद और मुकम्मल इस्लामी तर्ज़े-तालीम के साथ रिहाइशी (Residential) इदारों की पहले से कहीं ज़्यादा बढ़कर ज़रूरत है। • आप इस आसमान छूती महंगाई को देखते हुए और माहे रमज़ानुल मुबारक वग़ैरह के मुबारक मौक़ा पर इदारे की नन्ही-मुन्नी मासूम यतीम बच्चियों को ऊंचा उठाने के लिए अपने • ज़कात • अतियात • सदक़ात से भरपूर माली मदद करें ताकि वे तालीम और हुनर के मैदान में आगे बढ़ सकें और किसी से पीछे न रहें। • बाक़ी तामीरी व तालीमी मन्सूबों को पूरा करने के लिए रक़म की फ़ौरी ज़रूरत है। • इदारा आपके फ़राख़दिलाना और मुख़लिसाना भरपूर माली तआवुन का मुंतज़िर है। **याद रखें** यह लड़कियों का इदारा है। यहां चंदा वसूल करने वालों की बहुत कमी है। यहां का कोई भी मुहस्सिल कमीशन (उजरत) पर चंदा वसूल नहीं किया करता है।

नोट : इदारा की मुख़्तसर तारीख़ दस्तावेज़ी फ़िल्म (Documentary Film) नज़रे-इनायत (Nazr-e-Enayeth) यू-ट्यूब (You Tube) पर देखें।

चैक व ड्राफ़्ट और कोर बैंकिंग स्लिप पर सिर्फ़ यह लिखें : THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGAE

बराए राबिता चैक व ड्राफ़्ट और मनीऑर्डर भेजने का पता

Founder & Hon. G. Secretary, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE,
At. : Kolowna, P.o : Cherki-824237, Distt. : Gaya (Bihar) India

Email : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Mobile : 8969435151, Website : www.gmgo.in

Beneficiary Name
THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE
Bank A/C No.: 300402010007752 (ज़कात/Zakath)
Bank A/C No.: 300402010009846 (डोनेशन/Donation)
Bank IFSC Code No: UBIN0530042
Bank: UNION BANK OF INDIA
(MAIN BRANCH GAYA)

Scan & Pay

याद रखें : बैंक में रक़म ट्रांसफ़र की तफ़्सील बराए-मेहरबानी स्कैन एंड पै (Scan & Pay) या किसी ज़रिये से रक़म ट्रांसफ़र के बाद स्क्रीन शॉट (Screen Shot) नाम व पता सहित व्हाट्स एप कर दें ताकि रसीद भेजी जा सके।

व्हाट्स एप नम्बर 7367909126 बानी व इजाज़ी जनरल सेक्रेट्री इक़बाल अहमद ख़ां—9934480190

पटना ब्रांच ऑफ़िस : पटना शहर के हमदर्द अपना चैक व ड्राफ़्ट और रक़म देने के लिए इनसे राबिता करें।

जनाब ग़ुलाम मुहम्मद ख़ां (सदर) समनपूरा, पटना, **मोबाइल : 9934943229**

जनाब इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ां, समनपूरा, पटना, **मोबाइल : 9631867066**

क्या आर्थिक विकास से सभी को लाभ होता है?

❖डॉ. जावेद आलम ख़ान

केंद्र सरकार ने दावा किया था कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वित्त वर्ष 2022 में भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया और इस उपलब्धि का देश भर में व्यापक रूप से जश्न मनाया गया। गर्व से कहा गया कि भारत ने आर्थिक रूप से इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है, जबकि कभी भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत की आर्थिक विकास दर को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया था कि 2029 तक भारत जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि वर्तमान में जर्मनी को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जापान को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। हालांकि, अब जर्मनी ने वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में जापान को पीछे छोड़ दिया है, और परिणामस्वरूप भारत अब चौथी के बजाय छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, 2026 के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2026 में 4.27 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2025 में यह 4 ट्रिलियन डॉलर था। इसी प्रकार, जापान का जीडीपी 2026 में 4.38 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जबकि 2025 में यह 4.48 ट्रिलियन डॉलर था, जो जापान के जीडीपी में गिरावट का संकेत देता है। दूसरी ओर, भारत का जीडीपी 2025 के 3.92 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2026 में 4.5 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। आर्थिक शब्दावली में, जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) किसी देश के भीतर एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाज़ार मूल्य को संदर्भित करता है। इसमें उस देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। जीडीपी को आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय संकेतकों में से एक माना जाता है।

जीडीपी वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने घोषणा की थी कि भारत जल्द ही जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि, अब सवाल उठता है: अगर भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद थी, तो वह अचानक छठे स्थान पर कैसे आ गया? आईएमएफ़ अमेरिकी डॉलर को मानक मापदंड मानक के रूप में उपयोग करके अर्थव्यवस्थाओं को रैंक करता है। इन रैंकिंग में दो प्रकार के डेटा बिंदुओं का उपयोग किया जाता है : पहला, स्थानीय मुद्रा में मापा गया जीडीपी, और दूसरा, विनिमय दर के अनुसार डॉलर में मापा गया जीडीपी।

हाल ही में, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना के लिए एक नया आधार वर्ष (2022-23) अपनाया है, यह निर्णय फ़रवरी 2026 में लिया गया था। इससे पहले, अर्थशास्त्रियों और वैश्विक संस्थानों का तर्क था कि पुरानी जीडीपी श्रृंखला भारत के आर्थिक उत्पादन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती थी। रुपये के संदर्भ में, 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ₹357 ट्रिलियन से घटकर ₹345 ट्रिलियन हो गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हाल के समय में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले काफ़ी अवमूल्यन हुआ है। इसलिए, जब जीडीपी को डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है, तो इसका मूल्य और भी कम हो जाता है। इस बीच, कई अन्य देशों की मुद्राओं का डॉलर के मुक़ाबले सुदृढ़ीकरण हुआ है।

यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी अर्थशास्त्री इस बात पर सवाल उठाते रहते हैं कि क्या इस सुधार से वास्तव में आम नागरिकों के जीवन में समृद्धि आई है, उनकी बुनियादी आर्थिक समस्याओं का समाधान हुआ है या आर्थिक विकास के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में आर्थिक विकास के अधिकांश लाभ धनी वर्गों को ही मिले हैं। वर्तमान में, राष्ट्रीय आय का लगभग 23 प्रतिशत हिस्सा आबादी के सबसे धनी 1

प्रतिशत लोगों के हाथों में केंद्रित है। इससे पता चलता है कि आर्थिक विकास के सबसे अधिक लाभ देश के सबसे धनी लोगों को ही मिल रहे हैं।

सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से न्यूनतम 80 प्रतिशत आबादी की क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इसे ग़रीबों के लिए आर्थिक न्याय के रूप में प्रस्तुत कर रही है। हालांकि, इस दिशा में निजी क्षेत्र और बाज़ार के प्रयास अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। हाल ही में नोएडा में निजी कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन इसका एक उदाहरण है। इन श्रमिकों ने शिकायत की कि उन्हें श्रम क़ानूनों के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है, भुगतान में अक्सर देरी होती है और काम करने की परिस्थितियां ख़राब हैं। इसके अलावा, बढ़ती महंगाई के कारण उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में, श्रमिकों ने सरकार से क़ानूनी और वित्तीय सहायता की मांग की।

हाल ही में, सरकार ने श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से नए श्रम क़ानून लागू किए हैं, जिनमें बेहतर वेतन, बेहतर कार्य वातावरण और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। हालांकि, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मौजूदा आर्थिक विकास पर्याप्त रोज़गार के अवसर पैदा करने में विफल रहा है। चूंकि प्रौद्योगिकी तेज़ी से श्रम का स्थान ले रही है, इसलिए बेरोज़गारी का स्तर उच्च बना हुआ है। उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, रोज़गार में उसी गति से वृद्धि नहीं हो रही है। आदर्श रूप से, 6-7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि से प्रति वर्ष कम से कम 80 लाख रोज़गार सृजित होने चाहिए।

वर्तमान में देश में स्वरोज़गार बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविकता में यह अक्सर आर्थिक विवशता को दर्शाता है क्योंकि पर्याप्त रोज़गार सृजित नहीं हो रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि औद्योगिक क्षमता का उतना प्रभावी उपयोग नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। दक्षिण भारतीय राज्यों में औद्योगिक इकाइयां कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान दे रही हैं। इसलिए, औद्योगिक क्षेत्र को मज़बूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देकर।

आर्थिक विकास में तेज़ी के साथ, केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक क्षेत्र, विशेष रूप से शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए, ताकि शिक्षा पर ख़र्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 प्रतिशत या कुल बजट व्यय का 20 प्रतिशत तक पहुंच जाए। अन्य विकासशील देशों की तुलना में, भारत में शिक्षा पर सरकारी ख़र्च बहुत कम है। आदर्श रूप से, जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर ख़र्च किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान ख़र्च लगभग 3 प्रतिशत ही है।

2030 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 100 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए, 6 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 32.2 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल लाना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित 30:1 के छात्र-शिक्षक अनुपात को बनाए रखना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षा बजट बढ़ाने और शैक्षिक मानकों में सुधार पर ज़ोर दिया गया है। सत्ताधारी दल के नेता अक्सर "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के नारे और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को बढ़ावा देते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना होगा।

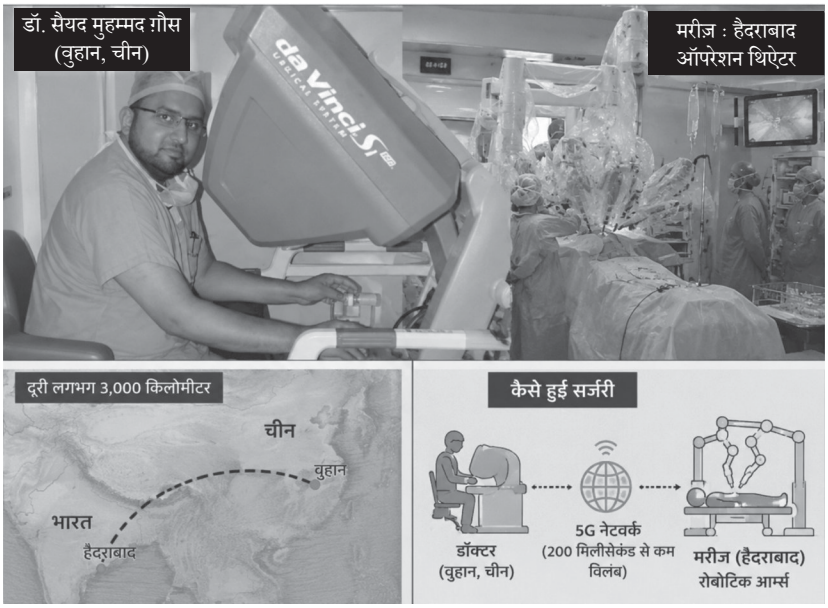
दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति एक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। हालांकि, देश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और आर्थिक विकास से संबंधित सरकारी नीतियों और बजट आवंटन में भेदभाव का सामना करता है। अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम सबसे अधिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा सामाजिक समूह बना हुआ है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बाद मुस्लिम बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में काफ़ी वृद्धि होती है, यही कारण है कि मुस्लिम छात्र उच्च शिक्षा में बहुत पीछे रह जाते हैं। अल्पसंख्यकों को समर्थन देने के लिए, केंद्र सरकार ने जनवरी 2008 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति और मौलाना आज़ाद फ़ेलोशिप जैसी योजनाओं को मंज़ूरी दी थी। ये योजनाएं मान्यता प्राप्त निजी और सरकारी स्कूलों में लागू की गईं। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 से इनमें से अधिकांश योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो रही हैं।■■

(लेखक नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ़ पॉलिसी स्टडीज़ एंड एडवोकेसी के निदेशक हैं।)

चीन में बैठे भारतीय डॉक्टर ने हैदराबाद के मरीज़ की रोबोटिक सर्जरी की

❖संपादन प्रभाग

चिकित्सा विज्ञान और दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं (टेलीमेडिसिन) के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि सामने आई है। भारतीय यूरोलॉजिस्ट डॉ. सैयद मुहम्मद ग़ौस ने चीन के वुहान शहर में रहते हुए हैदराबाद के एक मरीज़ की सफल रोबोटिक सर्जरी कर चिकित्सा जगत में नया इतिहास रच दिया। लगभग 3,000 किलोमीटर की दूरी से की गई यह सर्जरी आधुनिक तकनीक की क्षमताओं का प्रभावशाली उदाहरण मानी जा रही है।



यह जटिल ऑपरेशन अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक और उच्च गति वाली 5G कनेक्टिविटी की सहायता से संपन्न हुई। विशेषज्ञों के अनुसार, यह उपलब्धि सीमाओं से परे चिकित्सा सहयोग और भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है। सर्जरी लगभग 90 मिनट तक चली और इसमें रोबोटिक यूरेटरल री-इम्प्लांटेशन (मूत्रवाहिनी पुनर्स्थापन) प्रक्रिया अपनाई गई, जिसे सामान्यतः ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी भी कहा जाता है।

सर्जरी के दौरान डॉ. ग़ौस चीन के वुहान स्थित टोंगजी अस्पताल में एक विशेष कंसोल पर मौजूद थे, जबकि मरीज़ हैदराबाद के ऑपरेशन थिएटर में था। रोबोटिक प्रणाली ने 5G नेटवर्क के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले थ्री-डायमेंशनल (3D) दृश्य वास्तविक समय में उपलब्ध कराए। इससे डॉ. ग़ौस को हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर भी अत्यंत सूक्ष्म और जटिल चिकित्सीय गतिविधियों को सटीकता के साथ संचालित करने में सहायता मिली।

रिपोर्टों के अनुसार, संचार में विलंब (Latency) 200 मिलीसेकंड से भी कम था। यही कारण था कि रोबोटिक भुजाएं (Robotic Arms) लगभग तत्काल डॉक्टर के हाथों की गतिविधियों का अनुसरण कर सकीं। इस तकनीकी दक्षता ने पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ऑपरेशन से पहले वुहान और हैदराबाद के चिकित्सकों ने व्यापक स्तर पर समन्वय किया। दोनों देशों की मेडिकल टीमों ने मरीज़ के स्वास्थ्य अभिलेखों की ऑनलाइन समीक्षा की, सर्जरी की विस्तृत योजना तैयार की और संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं। अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर हैदराबाद में एक स्थानीय सर्जिकल टीम पूरे समय मरीज़ के पास मौजूद रही, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।

इस उपलब्धि की सराहना चीन में भी हुई। भारत स्थित चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने इस सर्जरी को ''सीमाओं से परे जीवन रक्षक चिकित्सा सेवा'' की संज्ञा दी। यह सर्जरी अंतरराष्ट्रीय हेपेटो-पैंक्रियाटो-बिलियरी एसोसिएशन (IHP-BA) के चीनी चैप्टर के 10वें सम्मेलन के दौरान प्रदर्शित की गई, कई अंतरराष्ट्रीय दूरस्थ सर्जरी परियोजनाओं में से एक थी।

डॉ. ग़ौस एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी से जुड़े हुए हैं और भारत के अग्रणी रोबोटिक यूरोलॉजिस्टों में गिने जाते हैं। पंद्रह वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे 1,200 से अधिक रोबोटिक सर्जरी तथा 3,000 से अधिक लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर चुके हैं। यूरो-ऑन्कोलॉजी, किडनी प्रत्यारोपण और पुनर्निर्माणात्मक मूत्ररोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनका विशेष योगदान माना जाता है।

चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि यह सफलता दर्शाती है कि रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और 5G जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां स्वास्थ्य सेवाओं की प्रकृति को बदल सकती हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, दूरस्थ रोबोटिक सर्जरी लोगों के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच आसान बना सकती है। इससे मरीज़ों को लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता भी कम होगी।

स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ इस उपलब्धि को भारत और चीन के बीच चिकित्सा सहयोग के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में भी देखते हैं। ऐसे समय में जब डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और टेलीमेडिसिन तेज़ी से विस्तार कर रहे हैं, यह सर्जरी इस बात का प्रमाण है कि तकनीक भौगोलिक सीमाओं को पार कर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं को अधिक सुलभ, तेज़ और सुरक्षित बना सकती है।

डॉ. ग़ौस की यह सफलता केवल एक चिकित्सकीय उपलब्धि नहीं, बल्कि भविष्य की उस स्वास्थ्य व्यवस्था की झलक भी है जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे मरीज़ों का उपचार कर सकेंगे। यह घटना चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी नवाचार के संगम से उत्पन्न नई संभावनाओं का सशक्त उदाहरण है। ■■

"तुममें से प्रत्येक को चाहिए कि वह अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए अपने रब (पालनकर्ता स्वामी) से ही सवाल करे, यहां तक कि यदि उसके जूते का तसमा (चमड़े का फ़ीता) टूट जाए तो वह भी उसी से मांगे।"
(हदीस : तिरमिज़ी)

A Well Wisher

Ashfaque Syed
Pune
(M.H.)

प्रेरक प्रसंग

गुरुजी

❖सय्यदा असमा

एक शादी समारोह में जब कलेक्टर साहब पहुंचे तो उनके 35 साल पुराने टीचर भी आए हुए थे। वह टीचर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं–'सर आपने मुझे पहचाना, मैं आपका शिष्य रहा हूं?' तब उनके सर बोले 'बेटा हमने आपको नहीं पहचाना?' कलेक्टर साहब अपना परिचय कराते हैं और फिर उनसे कहते हैं,"सर याद कीजिए वह घटना जब स्कूल में एक छात्र नई और महंगी घड़ी पहन कर आया था और उस लड़के की घड़ी चोरी हो गई थी, वह घड़ी मैंने ही चुराई थी। जब वह छात्र रोने लगा तब आपने सभी छात्रों को दीवार की ओर मुंह करके खड़ा होने के लिए कहा था और एक-एक करके आप सबकी तलाशी ले रहे थे।

जब आप तलाशी लेने मेरे पीछे आए तब आपने मेरी जेब से घड़ी बरामद कर ली और चुपचाप उस लड़के को दे दी और बात को वहीं ख़त्म कर दिया था। न मुझे डांटा न ग़ुस्सा किया न शिकायत की। बात वहीं पर ख़त्म हो गई, जबकि मैं सोच रहा था कि आप डाटेंगे, सबके सामने बेइज़्ज़त करेंगे, क्योंकि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है। मैं तो सोच रहा था कि घर जाकर आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि अब मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक़ तो रहा नहीं, इसलिए मर जाना ही बेहतर है। लेकिन आपने मेरा अपराध छुपाकर मेरी ज़िंदगी बचा ली थी। उसी समय मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि आज ईश्वर ने मौक़ा दिया है तो मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा, परिश्रम करूंगा और नतीजा आपके सामने है। आपका यह नालायक़ शिष्य आज कलेक्टर बन गया है।"

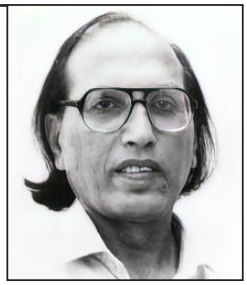
पूरी बात सुनकर टीचर मुस्कुराए और बोले,"कलेक्टर साहब, आपने सारी बात तो बता दी लेकिन एक राज़ आपको भी नहीं मालूम है, कहानी अभी बाक़ी है।" तब कलेक्टर साहब ने कहा," गुरुजी, वह राज़ क्या है?" तब उन्होंने कहा, "जब मैं सब छात्रों की तलाशी ले रहा था तब मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली थीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जिसकी जेब से घड़ी बरामद हो मैं उसको पहचान लूं और बाद में उसके प्रति मेरे मन में नफ़रत हो, मैं उसको जब भी देखूं तो मुझे यह न लगे कि यही था जिसने उस छात्र की घड़ी चुराई थी और हमेशा के लिए वह छात्र मेरी निगाह में गिर जाए। इसीलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, ताकि मैं उसे पहचान न सकूं।" गुरु जी की यह बात सुनकर कलेक्टर साहब अपने आंसुओं को न रोक सके। ■■

A Well Wisher

"मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी अदा कर दो।"
(हदीस : इब्न माजा)

Amjad Khan
Hapur
(U.P.)

उजाले अपनी यादों के...



• बशीर बद्र •

उर्दू शायरी की दुनिया में बशीर बद्र का नाम मुहब्बत, इंसानियत, रिश्तों की नज़ाकत और जीवन की गहरी सच्चाइयों का पर्याय रहा है। उनकी शायरी ने आम आदमी के जज़्बात को ऐसी सादगी और असरदार अंदाज़ में बयान किया कि उनके 'शेअ्र' आम लोगों की ज़बान पर चढ़ गए। उनके इन्तिक़ाल से साहित्य जगत ने एक सशक्त आवाज़ खो दी है, लेकिन उनकी शायरी की गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देती रहेगी। प्रस्तुत हैं उनके कुछ यादगार अश्आर–

ख़ुदा ऐसे एहसास का नाम है
रहे सामने और दिखाई न दे।

जी बहुत चाहता है सच बोलें,
क्या करें हौसला नहीं होता।

घरों पे नाम थे नामों के साथ ओहदे थे,
बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला।

यहां लिबास की क़ीमत है आदमी की नहीं,
मुझे गिलास बड़ा दे शराब कम कर दे।

दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे,
जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों।

लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।

कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से,
ये नए मिज़ाज का शहर है ज़रा फ़ासले से मिला करो।

मुहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला,
अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला।

मुसाफ़िर हैं हम भी मुसाफ़िर हो तुम भी,
किसी मोड़ पर फिर मुलाक़ात होगी।

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,
न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए।

उपलब्धि

बाल लेखिका की क़लम से निकलीं जीवन-मूल्यों की कहानियां

❖संपादन प्रभाग

आज के डिजिटल युग में, जब अधिकांश बच्चे अपना ख़ाली समय मोबाइल फ़ोन, वीडियो गेम और सोशल मीडिया पर बिताते हैं, ऐसे समय में कोई बच्ची यदि कहानियाँ लिखने बैठ जाए और उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी करवा ले, तो यह निश्चय ही एक असाधारण उपलब्धि मानी जाएगी। उत्तराखंड के काशीपुर स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल, हेमपुर की कक्षा आठ की छात्रा अशना नक़ी ने मात्र बारह वर्ष की आयु में ऐसा ही उल्लेखनीय कार्य कर दिखाया है।



अशना की पहली पुस्तक "यंग माइंड्स, ग्रेट लेसन्स" (Young Minds, Great Lessons) प्रतिष्ठित बाल साहित्य प्रकाशक "ब्रिबुक्स" (BriBooks) द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में दस लघु कहानियाँ संकलित हैं, जिनमें जीवन-मूल्यों, नैतिक शिक्षाओं और सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण के संदेश समाहित हैं। इन कहानियों के माध्यम से अशना ने अपने साथ के बच्चों को सरल भाषा में महत्वपूर्ण जीवन-पाठ समझाने का प्रयास किया है।

अशना का कहना है, "इन कहानियों के माध्यम से मैं यह दिखाना चाहती हूँ कि लोग अपनी ग़लतियों से सीख सकते हैं और जीवन के सुख-दुःख तथा भावनात्मक अनुभवों के बीच नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं।"

अशना की उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि वह ऐसे परिवार से संबंध रखती हैं जहाँ लेखन और पुस्तक-सृजन की समृद्ध परंपरा मौजूद है। वह अपने परिवार की पाँचवीं और सबसे कम उम्र की प्रकाशित लेखिका हैं। उनके पिता डॉ.नक़ीउद्दीन वाणिज्य विषय पर लेखन कर चुके हैं। उनके बड़े चाचा अधिवक्ता नदीम उद्दीन सार्वजनिक जागरूकता, विधिक साक्षरता और साहित्य जैसे विषयों पर 45 पुस्तकों के लेखक हैं। दूसरे चाचा डॉ. ज़ियाउद्दीन ने इंजीनियरिंग गणित पर पुस्तकें लिखी हैं। उनकी बड़ी बहन अधिवक्ता नीलिमा नदीम भी विधिक जागरूकता से संबंधित पुस्तकों की लेखिका हैं। ऐसे साहित्यिक वातावरण में पली-बढ़ी अशना को बचपन से ही पढ़ने और लिखने की प्रेरणा मिली।

हालाँकि उनकी यह उपलब्धि केवल पारिवारिक विरासत का परिणाम नहीं है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत मेहनत, कल्पनाशक्ति और रचनात्मक प्रतिभा का भी प्रमाण है।

यह पुस्तक एक सुनियोजित शैक्षिक पहल का परिणाम है। आर्मी पब्लिक स्कूल, हेमपुर द्वारा विद्यार्थियों में लेखन प्रतिभा विकसित करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत छात्रों को स्वतंत्र रूप से लेखन करने और अपनी रचनाओं को पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराने का अवसर मिला।

विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. मालिनी शर्मा के मार्गदर्शन तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर सुखबीर सिंह की प्रेरणा से संचालित इस कार्यक्रम में ब्रिबुक्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यालय के अंग्रेज़ी प्रवक्ता एवं भाषा एवं साहित्य मंच के संयोजक श्री अतुल यादव ने इस पूरी प्रक्रिया का सफल समन्वय किया और विद्यार्थियों को लेखन के लिए प्रोत्साहित किया।

अशना की पुस्तक में शामिल कहानियों में जीवन के छोटे-छोटे अनुभवों के माध्यम से बड़े संदेश दिए गए हैं। कहीं एक मेहनती मकड़ी के माध्यम से निरंतर प्रयास का महत्व बताया गया है, तो कहीं स्वच्छता, अनुशासन और नैतिकता जैसे विषयों को सहज शैली में प्रस्तुत किया गया है। इन कहानियों की विशेषता यह है कि वे उपदेशात्मक नहीं लगतीं, बल्कि घटनाओं और पात्रों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से शिक्षा प्रदान करती हैं।

लेखन के अतिरिक्त अशना चित्रकला, हस्तकला और पुस्तक-पठन में भी रुचि रखती हैं। उनके शिक्षक और परिवारजन उन्हें एक मेहनती, अनुशासित और लक्ष्य के प्रति समर्पित छात्रा के रूप में देखते हैं। रचनात्मक गतिविधियों में उनकी रुचि यह दर्शाती है कि वे अपने आसपास की दुनिया को गहराई से देखने और समझने की क्षमता रखती हैं।

अशना की इस उपलब्धि पर आर्मी स्कूल के चेयरमैन, प्रधानाचार्य सहित शिक्षकों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और समाज के विभिन्न वर्गों ने उन्हें शुभकामनाएँ और बधाई दी है। उनकी पुस्तक ब्रिबुक्स की वेबसाइट पर उपलब्ध है और पाठकों के बीच सराही जा रही है। ■■

A Well Wisher

हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (रज़ि.) से
उल्लिखित है कि नबी (सल्ल.) फ़र्ज़
नमाज़ों के पश्चात यह पढ़ा करते थे :

"कोई इलाह (पूज्य) नहीं सिवाय एक अल्लाह के,
उसका कोई सहभागी नहीं। राज्य उसी का है, प्रशंसा
एवं स्तुति (हम्द) उसी के लिए है। और उसे हर चीज़ का
सामर्थ्य प्राप्त है (अर्थात् वह सर्वशक्तिमान है)। ऐ अल्लाह!
तू जो दे दे, उससे कोई रोकने वाला नहीं और जो तू न दे
उसका देने वाला कोई नहीं। और तेरे सामने किसी
वैभवशाली का वैभव भी (उसको) कोई
लाभ नहीं पहुंचा सकता।"
(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)



J. I. H.
Danilimda
Ahmedabad
(Gujarat)

मनुष्य एक-दूसरे के पूरक

❖एस. कौसर लईक़

यह तथ्य वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से भी सिद्ध हो चुका है और इंसानी तर्कों से भी कि इस जगत् में पाए जाने वाले समस्त जीवों और निर्जीवों में मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ईश्वर की सृष्टि में मनुष्य का स्थान सर्वोपरि यानी सबसे ऊंचा है। यदि सम्पूर्ण जगत् को एक शरीर माना जाए तो मनुष्य इसमें सिर का स्थान रखता है। मनुष्य ही है जिसे चिंतन, मनन और सोच-विचार की शक्ति दी गई है। उसे अपने विकास हेतु अपना उपाय करने की योग्यता प्रदान की गई है। मनुष्य ही है जिसमें संगठित होकर और समाज के रूप में रहने की उत्कट प्रेरणा पाई जाती है।

अगर हम विचार करें तो मालूम होगा कि हर मनुष्य एक-दूसरे का पूरक है। प्रत्येक व्यक्ति समाज बनाकर साथ रहना चाहता है। इन सबके बाद मनुष्य को जो चिंतन-मनन की छूट दी गई है, उसका नकारात्मक पक्ष यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुद्धि (मानस) को प्रदूषित कर सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अच्छे विचारों को बुरे विचारों में ढाल सकता है। यहीं मनुष्य की परीक्षा और आज़माइश शुरू हो जाती है। इसी का स्वार्थी तत्व अपना अनुचित लाभ उठाते रहते हैं। एक-दूसरे के विरुद्ध बातें करके मित्र को शत्रु में परिवर्तित कर देते हैं।

कुवृत्ति के लोगों ने आज मानव जाति को टुकड़े-टुकड़े में बांटकर रख दिया है। आज सम्पूर्ण मानवजाति विभिन्न गुट, सम्प्रदायों, वर्णों और जातियों में विभक्त होकर रह गई है। इतना ही नहीं कि लोग बंटे हुए हैं, बल्कि एक गुट दूसरे गुट को, एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय को अपना शत्रु, अपना विरोधी मानकर मिटा देने पर तत्पर है। किसी ने क्षेत्र के आधार पर अपना एक गुट बना रखा है, तो कोई रंग, रूप और धर्म के आधार पर गुटबंदियों में लगा हुआ है। जबकि हक़ीक़त यह है कि कोई किसी से भिन्न व विलग नहीं है। लोग अपने मूल को भुलाकर मानव द्वारा रचित मनघड़ंत कहानियों में आकर इस अज्ञानता में पड़े हुए हैं कि वे एक-दूसरे से भिन्न ही नहीं, वरन् श्रेष्ठ हैं। हर गुट व समुदाय एक-दूसरे पर प्रभावी हो जाने और अपनी श्रेष्ठता जताने की होड़ में लगा हुआ है। जिस वर्ग को भी शक्ति व ताक़त मिल जाती है, वह उस शक्ति के प्रभाव में आकर उन्मादग्रस्त हो जाता है। उसके लिए किसी मर्यादा, नैतिकता और मानवता का कोई अर्थ नहीं रहता।

मनुष्य का अपना विकास करना या विकसित हो जाना कोई दोष नहीं, किन्तु विकास और शक्ति प्राप्त करके अन्य के प्रति शत्रुता व घृणा का व्यवहार करना और शक्ति के उन्माद में न्याय और नैतिक मर्यादा का तोड़ना सबसे बड़ा दोष ही नहीं, वरन् मानवता के प्रति एक जघन्य अपराध है। अपने से इतर जाति और वर्ग पर अत्याचार करने और उन्हें अपना शत्रु समझने का अपराध दुनिया की तमाम क़ौमें कर रही हैं।

पवित्र क़ुरआन मनुष्य पर उसकी आदि उत्पत्ति को स्पष्ट करते हुए कहता है कि तुम एक ही मानव की संतान हो, लोगों में विभाजन पैदा करने से डरो–"ऐ लोगो! अपने रब का डर रखो, जिसने तुमको एक जीव से पैदा किया और उसी जाति का उसके लिए जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत-से पुरुष और स्त्रियां फैला दीं।" (क़ुरआन, 4:1)

इसी भाव को और अधिक स्पष्ट करते हुए क़ुरआन में कहा गया—"ऐ लोगो! हमने (यानी ईश्वर ने) तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया।" (क़ुरआन, 49:13)

अन्त में स्पष्टतः कहा–"समस्त मानव एक ही समुदाय है।" (क़ुरआन, 2:213)

क़ुरआन ने मनुष्य-मनुष्य में भेदभाव करने को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। क़ुरआन की दृष्टि में मानवीय आधार पर सभी मनुष्य एक समान पवित्र, सम्माननीय और अधिकार में समकोटीय एवं बराबर हैं। मानवीय स्तर पर न कोई किसी से अधिक प्रतिष्ठित है और न कोई किसी से निम्न व अछूत । मनुष्य इस पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि समस्त जगत में जहां कहीं भी रहता है सभी एक समान रूप से भाई-भाई और आदर योग्य हैं। दूसरे शब्दों में यह कि वे सब हमारे अपने कुटुम्ब, अपने परिवार और अपने ही नस्ल के हैं। हमारी हमदर्दी, उन सबके साथ एक समान रूप से होगी।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने अपने साथियों से कहा–"तुम मोमिन (ईश्वर के निष्ठावान प्रिय भक्त) नहीं हो सकते जब तक कि एक-दूसरे पर दया न करो।"

यह सुनकर साथियों ने कहा कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के प्रति दया-भाव रखता है, तो नबी (सल्ल.) ने कहा—"मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि तुम में से कोई मात्र अपने साथी पर दया करे या दया-भाव रखे, बल्कि मेरा अभिप्राय सार्वजनिक दयालुता से है।" (हदीस : तबरानी)

अर्थात् पैग़म्बर (सल्ल.) ने सार्वजनिक दयालुता कहकर अपने मानने वालों पर स्पष्ट कर दिया कि समस्त मानव जाति तुम्हारा अपना परिवार और अपने कुटुम्ब के समान है। अतः यदि ईश्वर के सच्चे प्रिय भक्त बनना चाहते हो तो तुम्हें समस्त मानव जाति के प्रति एक समान सहानुभूति, अनुकंपा, संवेदना, अनुग्रह एवं करुणा व प्रीति-प्रेम रखना होगा।

इस्लाम धर्म के हदीसशास्त्र की पुस्तक तिरमिज़ी में है कि ईश्वर के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के एक साथी (सहाबी) ने उनसे पूछा कि यदि मैं किसी व्यक्ति के निकट से जाऊं और वह न तो मेरे मिलने का हक़ अदा करे और न मेरा सत्कार करे और जब वह मेरे पास आए तो मैं उसका सत्कार करूं या मैं उससे उसकी बदसलूकी का बदला लूं? इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में ईश्वर के संदेशवाहक (पैग़म्बर मुहम्मद सल्ल।) ने कहा कि नहीं, बल्कि तुम उसका सत्कार करो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो।

इसी प्रकार एक अवसर पर पैग़म्बर (सल्ल.) ने लोगों को नसीहत करते हुए कहा कि तुम इस नियम की पाबंदी करो कि यदि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें तो तुम्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना ही है और यदि वे दुर्व्यवहार करें तो इस दशा में भी तुम दुर्व्यवहार व अत्याचार की नीति कदापि न अपनाओ। (हदीस सौरभ, पृ।164 से भावार्थ)

किसी से भी अवसर पाते ही प्रतिशोध लेना, किसी की अभद्रता पर बदले में दुष्टता, बर्बरता व शिष्टाचारहीनता का व्यवहार अपनाना अपने अन्तःकरण की ग़रीबी और तुच्छता के अम्बार (भंडार) होने का प्रमाण देना होता है कि उसके अन्दर भी दुर्व्यवहार, अशिष्टता, असंस्कृति का भण्डार एवं गंदगी छिपी हुई है।

एक बार दो पड़ोसियों में किसी बात को लेकर शत्रुता हो गई। एक पड़ोसी जो अपना कूड़ा-करकट अपने घर में ही जमा करके रखता था, वह अपने दूसरे पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए उसके दरवाज़े पर मौक़ा पाते ही हर रोज़ उसे डाल देता। वह दूसरा पड़ोसी उस कूड़ा-करकट को उठाकर फेंक देता था। इसके उत्तर में वह कूड़ा फेंकने वाले पड़ोसी के दरवाज़े पर फूलों का ढेर डाल दिया करता। अतः उसने जब ऐसा किया तो दूसरे पड़ोसी ने शर्मिन्दगी के मारे कूड़ा डालना छोड़ दिया। इसी प्रकार जब हम किसी की दुष्टता पर भी अपने अन्तःकरण की विशुद्धता का प्रमाण देते हुए उसके साथ उपकार और सद्व्यवहार अपनाते हैं, तो वह भलाई अवश्यतः अपना प्रभाव छोड़ती है और शत्रु-से-शत्रु के भी हृदय-परिवर्तन में देर नहीं लगती। क़ुरआन में यही शिक्षा दी गई है–"भलाई और बुराई बराबर नहीं है। तुम बुराई को उस भलाई से दूर करो, जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी शत्रुता हो गई थी, वह जिगरी दोस्त बन गया है।" (क़ुरआन, 41:37)

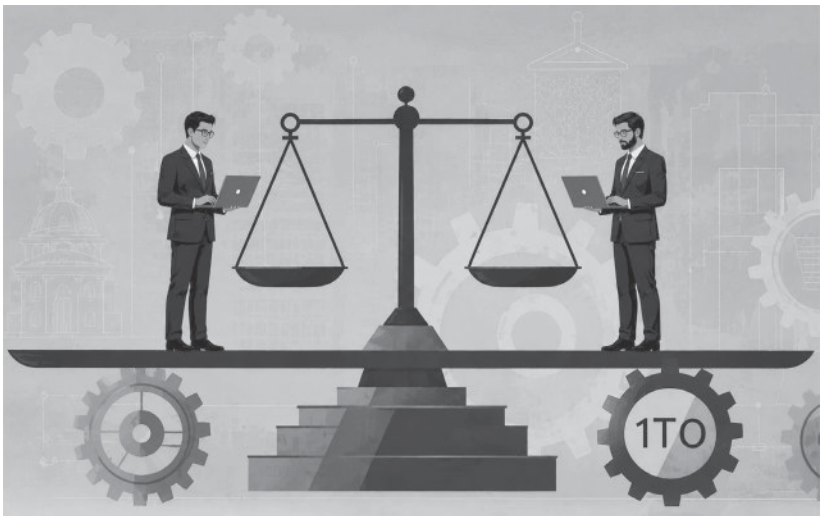
अर्थात् भलाई और बुराई, सदाचार और अत्याचार एक समान कदापि नहीं हैं। देखने में विरोधी बुराई का कितना ही भयानक तूफ़ान क्यों न ले आए, किन्तु भलाई के मुक़ाबले में बुराई अत्यन्त विवश और कमज़ोर होती है और अंततः विनष्ट होकर रहती है। इस शिक्षा में यह जो कहा गया कि तुम भलाई करो तो साधारण नहीं, वरन् उत्तम प्रकार की। इससे ज्ञात हुआ कि निःस्वार्थभाव के साथ उत्तम दर्जे का सद्व्यवहार उससे अपनाना होगा जो हमारे साथ अत्यन्त निकृष्ट प्रकार की बुराई कर रहा हो। क्योंकि इनसानी स्वभाव है कि एक-न-एक दिन उस बुरे व्यक्ति को अवश्यतः यह एहसास होकर रहता है कि वह जो कुछ कर रहा है, ग़लत है। क़ुरआन में एक और स्थान पर नेक और उत्तम प्रकृति के ईश-भक्तों का गुण बयान करते हुए कहा गया–

"उनकी दशा यह होती है कि अपने रब की प्रसन्नता के लिए धैर्य से काम लेते हैं। ईश-प्रार्थना (नमाज़) का आयोजन करते हैं, हमारी दी हुई आजीविका में से एलानिया और छिपे (सत्यपथ में) ख़र्च करते हैं और बुराई को भलाई से दूर करते हैं।" (क़ुरआन, 13:22)

उपकार करने वाले के साथ उपकार करना, सद्व्यवहार अपनाने वाले के साथ सद्व्यवहार अपनाना मनुष्य का एक साधारण गुण है। यह पशुओं में भी पाया जाता है कि जिससे प्रेम से पेश आया जाए तो वह भी दुम हिलाता है। उत्तम प्रकृति एवं उच्च मानवीय गुण यह है कि जो हमारे साथ अपकार और दुष्टता अपनाए उसके साथ भी अवसर आने पर उपकार की नीति अपनाएं, उसके साथ भी उसके हितकारी कार्य करें, तभी उच्च प्रकार की मनुष्यता हमारे अन्दर होने का प्रमाण होगा। ■■

अदालत के बाहर भी वकालत के मौक़े

❖संपादन प्रभाग



बदलती अर्थव्यवस्था, डिजिटल तकनीक और नए क़ानूनों ने वकालत के पेशे को पूरी तरह बदल दिया है। आज क़ानून के जानकार अदालत से निकलकर कॉरपोरेट बोर्डरूम, टेक कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, नीति निर्माण और स्टार्टअप इकोसिस्टम का अहम हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में लॉ में करियर अब सिर्फ़ परंपरागत पेशा नहीं रह गया, बल्कि आधुनिक और बहुआयामी करियर विकल्पों का क्षेत्र बन चुका है।

वकालत अब सिर्फ़ मुक़ामों और अदालत तक सीमित पेशा नहीं है। बदलती अर्थव्यवस्था, डिजिटल तकनीक और नए क़ानूनों ने इस पेशे को पूरी तरह बदल दिया है। आज क़ानून के जानकार अदालत से निकलकर कॉरपोरेट बोर्डरूम, टेक कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, नीति निर्माण और स्टार्टअप इकोसिस्टम का अहम हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में लॉ में करियर अब सिर्फ़ परंपरागत पेशा नहीं रह गया, बल्कि आधुनिक और बहुआयामी करियर विकल्पों का क्षेत्र है। आइए जानते हैं इन नए अवसरों के बारे में।

वर्तमान समय में वकालत के पेशे में अवसरों की कमी नहीं है। अनुमान है कि लीगल सर्विसेज सेक्टर 2030 तक 28 हज़ार करोड़ रुपये का हो सकता है, यानी यह क्षेत्र सालाना 6 फ़ीसदी से अधिक की दर से बढ़ रहा है। यह इस बात का संकेत है कि परंपरागत और आधुनिक दोनों तरह के क़ानूनी पेशेवरों की मांग बनी हुई है।

जानकारों का कहना है कि लॉ स्टूडेंट्स को पहले तय करना चाहिए कि वे कोर्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कॉरपोरेट और लॉ फर्म में जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों की तैयारी अलग होती है। कोर्ट प्रैक्टिस के लिए पढ़ाई के साथ नियमित अदालत जाना और वरिष्ठ वकीलों के साथ काम ज़रूरी है। वहीं कॉरपोरेट सेक्टर के लिए कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, लीगल रिसर्च और कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। आज अको मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी है काम की समझ होना और लगातार सीखते रहना।

बन रहे वैश्विक अवसर

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया की ओर से बीते साल संशोधित नियमों के तहत विदेशी लॉ फर्मों और वकीलों को भारत में कॉरपोरेट लॉ, विलय और अधिग्रहण, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में काम करने की अनुमति का रास्ता साफ़ हो चुका है।

इन बदलावों से भारतीय युवा वकीलों के लिए इन क्षेत्रों में मनोबल क्लाइंट्स और अंतरराष्ट्रीय डील्स में अवसर बनेंगे। इसके लिए युवा वकील सॉलिसिटर्स क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, कैलिफोर्निया बार एग्ज़ाम पास कर योग्यता हासिल

कर सकते हैं और क्रॉस बॉर्डर डील्स व आर्बिट्रेशन में कौशल बढ़ा सकते हैं।

परंपरागत से नई भूमिकाओं तक

भारत की बात करें, तो इस क्षेत्र में बतौर वकील कोर्ट में प्रैक्टिस करना आज भी मज़बूत विकल्प है। सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, प्रॉपर्टी और संवैधानिक लॉ में विशेषज्ञ वकीलों की हमेशा मांग रहती है।

नए क्षेत्रों में बढ़ी मांग : वक़्त के साथ कॉरपोरेट लॉ, मर्जर-एक्विज़िशन, टैक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, एआई, एन्वायर्नमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस सेक्टर, साइबर लॉ और डाटा प्राइवेसी जैसे नए क्षेत्रों में अवसर तेज़ी से बढ़े हैं। लॉ ग्रेजुएट्स अब पॉलिसी मेकिंग, लीगल जर्नलिज़्म, रिसर्च, आर्बिट्रेशन, कंसल्टेंसी और लीगल टेक स्टार्टअप्स में भी मौक़े पा रहे हैं।

क्या हो राह

एलएलबी और इंटीग्रेटेड एलएलबी : एलएलबी तीन साल का कोर्स है, जिसे ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है और यह केवल क़ानूनी विषयों पर केंद्रित होता है। वहीं, इंटीग्रेटेड एलएलबी पांच साल का कोर्स है, जिसे 12वीं के बाद किया जा सकता है, जैसे बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी। इसमें क़ानून के साथ अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं, जिससे छात्रों को शुरू से व्यापक समझ मिलती है। कॉरपोरेट और आधुनिक लॉ करियर के लिए इसे अधिक व्यावहारिक माना जाता है।

वर्तमान समय में वकालत के पेशे में अवसरों की कमी नहीं हैं। अनुमान है कि लीगल सर्विसेज सेक्टर 2030 तक 28 हज़ार करोड़ रुपये का हो सकता है, यानी यह क्षेत्र सालाना 6 फ़ीसदी से अधिक की दर से बढ़ रहा है। यह इस बात का संकेत है कि परंपरागत और आधुनिक दोनों तरह के क़ानूनी पेशेवरों की मांग बनी हुई है।

डिप्लोमा कोर्सेस भी उपलब्ध : कई संस्थान 1-2 साल के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं। एनएलएसआईयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे जैसे संस्थान साइबर लॉ, लेबर लॉ और आईपीआर (Intellectual Property Rights) में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। हालांकि इन कोर्स की मान्यता ज़रूर देख लें।

कितनी होगी आय : कमाई के लिहाज से भी लॉ करियर में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। हाल की प्लेसमेंट रिपोर्टों के अनुसार, 2025 में कुछ टॉप लॉ फर्म्स ने नए ग्रेजुएट्स को 19 से 25 लाख रुपये तक का सालाना पैकेज ऑफ़र किया है, ख़ासकर उन छात्रों को जो कॉर्पोरेट लॉ, टेक लॉ, टैक्स या कंप्लायंस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित हैं। कॉर्पोरेट लॉगर, लीगल कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर और कंप्लायंस ऑफ़िसर जैसे पदों में फ्रेशर्स की शुरुआत आमतौर पर 6 से 10 लाख रुपये सालाना से देखी जा रही है। 5 से 8 साल के अनुभव वाले कॉरपोरेट या स्पेशलाइज्ड वकील 30 लाख रुपये से ज़्यादा कमा सकते हैं।

प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं

भारत में लॉ की पढ़ाई के लिए क्लैट (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट), एआईएलईटी और एलसैट-इंडिया परीक्षाएं प्रमुख है। इसके अलावा स्लैट (सिम्बायोसिस लॉ स्कूल), सीयूईटी (यूजी) कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे बीएचयू में प्रवेश के लिए होती है। क्लैट यूजी देश भर के 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए दिसंबर माह में होती है, जबकि एआईएलईटी केवल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के लिए है। एलसैट-इंडिया की कई निजी लॉ स्कूलों में मान्यता है।

ज़्यादा मांग के क्षेत्र

वर्तमान में लॉ के क्षेत्र में सर्वाधिक मांग साइबर सुरक्षा क़ानून, बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार, कॉरपोरेट क़ानून, श्रम क़ानून और तकनीक/एआई क़ानून की है। डिजिटल विकास के चलते डाटा गोपनीयता और तकनीकी अनुबंधों में विशेषज्ञता की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ रही है, ख़ासकर कॉरपोरेट, टैक्स और रियल एस्टेट क्षेत्रों में।

प्रमुख संस्थान

- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बंगलुरू, nls.ac.in
- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू), दिल्ली, nludelhi.ac.in
- जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) नई दिल्ली, jmi.ac.in
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू), amu.ac.in
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), bhu.ac.in
- सिबायोसिस लॉ स्कूल, symlaw.ac.in ■■

इमाम हुसैन (रज़ि.) की शहादत

❖डॉ. मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी

मुहर्रम का महीना (इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना) आते ही कर्बला की यादें ताज़ा हो जाती हैं। सामान्यतः इसे अत्याचार और प्रतिरोध, सत्य और असत्य, तथा शहादत और सब्र की घटना के रूप में याद किया जाता है। लेकिन कर्बला का महत्व केवल इतना नहीं है। यह घटना उस मूल प्रश्न से भी जुड़ी हुई है कि सत्ता की वैधता का आधार क्या होना चाहिए—जन-सहमति और जवाबदेही, या वंशानुगत अधिकार और राजसत्तात्मक परंपरा।

इसी प्रश्न ने पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के नवासे इमाम हुसैन (अल्लाह उन से राज़ी हो) को एक ऐतिहासिक और नैतिक निर्णय के सामने खड़ा कर दिया। उनका संघर्ष किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नहीं, बल्कि उन मूल्यों की रक्षा का था जिन पर इस्लामी व्यवस्था की नींव रखी गई थी—शूरा (परामर्श), जन-सहमति, जवाबदेही और नैतिक वैधता। यही कारण है कि कर्बला केवल धार्मिक इतिहास की घटना नहीं, बल्कि सिद्धांतनिष्ठ प्रतिरोध का एक शाश्वत प्रतीक है।

इमाम हुसैन ने अपने आचरण से यह स्पष्ट किया कि केवल शक्ति वैधता का आधार नहीं हो सकती। राजनीतिक सत्ता तभी न्यायोचित है जब उसका आधार नैतिकता, जवाबदेही और जन-स्वीकृति हो। इसी कारण कर्बला अन्याय के विरुद्ध नैतिक प्रतिरोध का स्थायी प्रतीक बन गई।

इस्लाम का शासन-दर्शन : सत्ता नहीं, अमानत

इस्लाम में सत्ता किसी व्यक्ति, परिवार या क़बीले की निजी मिल्कियत नहीं, बल्कि समुदाय की अमानत मानी गई है। शासक उसका मालिक नहीं, बल्कि प्रतिनिधि और संरक्षक होता है। उसे शासन का अधिकार वंश या जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि समाज के विश्वास और स्वीकृति से प्राप्त होता है।

क़ुरआन कहता है : "और उनके मामले आपसी परामर्श (शूरा) से तय होते हैं।"

(क़ुरआन, सूरा-42 अश-शूरा, आयत:38)

इसी सिद्धांत के अनुसार शासन को पारिवारिक विरासत नहीं माना गया। पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)और उनके बाद के प्रारम्भिक दौर में सत्ता का प्रश्न परामर्श, जन-स्वीकृति और जवाबदेही से जुड़ा रहा। शासक स्वयं को जनता का स्वामी नहीं, बल्कि एक उत्तरदायी सेवक समझता था।

यही वह बुनियादी अंतर है जो ख़िलाफ़त को बादशाहत से अलग करता है। ख़िलाफ़त में सत्ता एक अमानत होती है, जबकि बादशाहत में वह एक परिवार का अधिकार बन जाती है। ख़िलाफ़त का आधार शूरा और जन-सहमति है, जबकि बादशाहत का आधार वंशानुगत उत्तराधिकार और सत्ता का केंद्रीकरण है।

प्रारम्भिक इस्लामी व्यवस्था इसी अर्थ में एक नैतिक और राजनीतिक क्रांति थी। उसने यह सिद्ध किया कि नेतृत्व रक्त-संबंध से नहीं, बल्कि विश्वास, योग्यता, परामर्श और जन-सहमति से निर्धारित होना चाहिए। बाद के इतिहास में इसी आदर्श की रक्षा का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण विवादों में से एक बन गया।

ख़िलाफ़त का प्रारंभिक दौर

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने बाद किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को राजनीतिक उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। उनके बाद हज़रत अबूबक्र, उमर, उस्मान और अली (अल्लाह उन सब से राज़ी हो) का चयन विभिन्न रूपों में परामर्श, शूरा और जन-स्वीकृति के आधार पर हुआ। इन चारों उदाहरणों से स्पष्ट है कि सत्ता किसी परिवार की विरासत

नहीं थी और न ही उसे निजी संपत्ति समझा गया। शासन की वैधता का आधार समुदाय का विश्वास और सहमति थी।यही विशेषता ख़िलाफ़त को बादशाहत से अलग करती थी।

एक ऐतिहासिक मोड़

ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर में शासन शूरा, जन-स्वीकृति और जवाबदेही पर आधारित था। लेकिन बाद में परिस्थितियाँ बदलीं और पहली बार शासन को एक शासक के परिवार के भीतर बनाए रखने का प्रयास हुआ। यज़ीद को उत्तराधिकारी नामित किए जाने से यह बुनियादी प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि शासक के चयन का अधिकार किसे होना चाहिए—समुदाय को या शासक परिवार को?

इसी कारण मुस्लिम समाज के अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने इसका विरोध किया। उनकी चिंता किसी व्यक्ति विशेष से अधिक उस सिद्धांत को लेकर थी कि कहीं सत्ता एक अमानत से बदलकर वंशानुगत अधिकार न बन जाए। उन्हें आशंका थी कि इससे शूरा और जन-सहमति की परंपरा कमज़ोर पड़ जाएगी।

इस प्रकार यह केवल व्यक्तियों का विवाद नहीं रहा, बल्कि इस्लामी शासन-दर्शन और उभरती हुई राजसत्तात्मक प्रवृत्ति के बीच एक सिद्धांतगत संघर्ष बन गया।

इमाम हुसैन (अल्लाह उनसे राज़ी हो) का इन्कार : सत्ता नहीं, उसूल का प्रश्न

इमाम हुसैन (अल्लाह उन से राज़ी हो) के रुख़ को सत्ता प्राप्ति का प्रयास समझना ऐतिहासिक वास्तविकता के विपरीत है। उनका उद्देश्य शासन हासिल करना नहीं, बल्कि एक सिद्धांत की रक्षा करना था। उनके सामने मूल प्रश्न यह था कि क्या वे उस नई व्यवस्था को स्वीकार करें जिसके अंतर्गत ख़िलाफ़त का स्वरूप बदल रहा था।

बैअत केवल व्यक्तिगत निष्ठा का वचन नहीं थी; वह उस राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को स्वीकार करना भी था। इमाम हुसैन ने इसी वैधता को स्वीकार करने से इन्कार किया। उनका मानना था कि शूरा और सामूहिक सहमति की परंपरा को समाप्त करने वाली व्यवस्था को मौन स्वीकृति देना उचित नहीं है।

उन्होंने यह दिखाया कि कभी-कभी मौन भी एक निर्णय होता है। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन उस परिवर्तन को वैधता नहीं दी जिसे वे इस्लामी आदर्शों से विचलन मानते थे।

कर्बला : जब नैतिकता सत्ता से टकराई

कर्बला में एक ओर राज्य की शक्ति, सेना और प्रशासन था, तो दूसरी ओर सत्य, सिद्धांत और नैतिक साहस की शक्ति। भौतिक दृष्टि से परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता था, लेकिन कर्बला का महत्व विजय या पराजय में नहीं, बल्कि एक सत्य को इतिहास के सामने प्रमाणित करने में था।

> **“कर्बला में एक ओर राज्य की शक्ति, सेना और प्रशासन था, तो दूसरी ओर सत्य, सिद्धांत और नैतिक साहस की शक्ति। भौतिक दृष्टि से परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता था, लेकिन कर्बला का महत्व विजय या पराजय में नहीं, बल्कि एक सत्य को इतिहास के सामने प्रमाणित करने में था।”**

इमाम हुसैन ने अपने आचरण से यह स्पष्ट किया कि केवल शक्ति वैधता का आधार नहीं हो सकती। राजनीतिक सत्ता तभी न्यायोचित है जब उसका आधार नैतिकता, जवाबदेही और जन-स्वीकृति हो। इसी कारण कर्बला अन्याय के विरुद्ध नैतिक प्रतिरोध का स्थायी प्रतीक बन गई।

कर्बला का शाश्वत संदेश

कर्बला को आधुनिक लोकतांत्रिक आंदोलन कहना सही नहीं होगा, लेकिन जिन मूल्यों की रक्षा के लिए इमाम हुसैन खड़े हुए थे—जन-सहमति, जवाबदेही, नैतिक वैधता और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार—वे आज भी किसी भी न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद हैं।

कर्बला का सबसे बड़ा संदेश यह है कि इतिहास की सबसे बड़ी विजय हमेशा सत्ता प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने उसूलों की रक्षा करने में होती है। चौदह सदियों बाद भी कर्बला हमें याद दिलाती है कि शासन की वास्तविक शक्ति बल या वंश में नहीं, बल्कि न्याय, जन-विश्वास और नैतिक वैधता में निहित होती है। इसी कारण इमाम हुसैन की शहादत हर युग के लिए सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होने की प्रेरणा बनी हुई है। ■■

जीवन आदर्श

मक्का से पलायन



❖मुशर्रफ़ अली

अल्लाह के आदेशों की ओर लोगों को बुलाने का अल्लाह के रसूल (सल्ल०) का मिशन जारी रहा। धीमी गति से ही सही लोग इस्लाम की ओर आ रहे थे। दूसरी ओर विरोधी शक्तियां किसी भी क़ीमत पर इस मिशन को रोकना चाहती थीं। मक्का के बहुदेववादी एक बार फिर इस मुद्दे पर विचार करने जमा हुए। काफ़ी विचार-विमर्श के बाद उन्होंने उतबा को अपना प्रतिनिधि बनाकर अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के पास भेजा। तीसरी पीढ़ी में जाकर उतबा का वंश आपके साथ मिल जाता था और इस रिश्ते से वह आपका चचा था। वह एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने बड़ी विनम्रता के साथ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को सम्बोधित किया और बड़ी गंभीरता से बोला तुम्हारे वंश और कुल ने तुम्हारे लिए सम्मान और प्रतिष्ठा को सुनिश्चित कर दिया, मगर तुमने अपनी क़ौम के लिए गंभीर चिन्ता और समस्या पैदा कर दी है। तुमने उनमें फूट डाल दी है। तुमने यह घोषणा कर रखी है कि उनकी जीवनशैली मूर्खतापूर्ण है। तुमने उनके धर्म को अधर्म बताया और उनके पूर्वजों को विधर्मी ठहरा दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे सामने कुछ सुझाव रखता हूं, बताओ कि इनमें से कौन तुम्हें स्वीकार्य है?

"देखो भतीजे अगर तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें धन-दौलत चाहिए तो हम सब मिलकर तुम्हारे सामने इतना धन इकट्ठा कर देते हैं कि तुम हम में सबसे अधिक धनवान आदमी बन जाओगे। अगर तुम मान-सम्मान चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं और हम कोई भी फ़ैसला तम्हारी मर्ज़ी के बिना नहीं करेंगे। अगर तुम शासन करना चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह चुन लेते हैं। अगर तुमपर कोई जिन्न आता है, जिससे छुटकारा पाने में तुम सक्षम नहीं हो तो हम अपने ख़र्चे से तुम्हारा इलाज करा देते हैं। औरत के अभिलाषी हो तो हम तुम्हारे लिए सुन्दर से सुन्दर औरत का इंतिज़ाम कर देते हैं।"

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) उतबा की बातें चुपचाप सुनते रहे, बीच में कुछ नहीं बोले। जब उसकी बात पूरी हो गयी तो आपने कहा; अब मेरी बात सुनो—फिर आपने हाल ही में उतरी क़ुरआन की कुछ आयतें पढ़नी शुरू की। उतबा क़ुरआन की भाषा और शैली से मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनता ही रहा। उन आयतों में धरती और आकाश की रचना के बारे में बताया गया था। प्राचीन नबियों और उनकी उम्मतों के बारे में बताया गया था, जिनका नबियों को झुठलाने के कारण विनाश हो गया और परलोक में भी उनका ठिकाना नरक ठहरा। फिर ईमान वालों का उल्लेख था, दुनिया में ईश्वर और उसके रसूलों की ओर से जिनकी सुरक्षा का वादा किया गया

था और परलोक में जिन्हें हर इच्छा की पूर्ति का आश्वासन दिया गया था।

अन्त में नबी (सल्ल०) ने पढ़ा, "अल्लाह की निशानियों में से हैं ये रात, ये दिन, ये सूरज और ये चांद। सूरज और चांद को सजदा न करो, बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने इन्हें बनाया है।" फिर अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने सजदा किया। इसके बाद उतबा से बोले, मुझे यही कहना था।

उतबा जब अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के पास से उठ कर अपने लोगों के बीच आया तो उसका रंग बदला हुआ था। उसने कहा कि मुहम्मद को उसके हाल पर छोड़ दो। अगर अरबों ने उसपर विजय प्राप्त कर ली, तो तुम उससे छुटकारा पा जाओगे और अगर उसने अरबों पर विजय प्राप्त कर ली तो यह तुम्हारी भी विजय होगी।

हब्श की ओर पलायन

मक्का में मुसलमानों पर क़ुरैश का अत्याचार और बढ़ने लगा। मुसलमान यातनाओं को सहन करने से घबराये नहीं थे, लेकिन समस्या यह थी कि मक्का में रहकर इस्लाम का पूरी तरह पालन करना संभव नहीं था। वे काबा में आवाज़ के साथ क़ुरआन भी नहीं पढ़ सकते थे। इसलिए नुबूवत के पांचवें वर्ष में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कुछ सहाबा को हब्श की ओर हिजरत (पलायन) कर जाने का आदेश दिया।

मक्का में मुसलमानों पर कुरैश का अत्याचार और बढ़ने लगा। मुसलमान यातनाओं को सहन करने से घबराये नहीं थे, लेकिन समस्या यह थी कि मक्का में रहकर इस्लाम का पूरी तरह पालन करना संभव नहीं था। वे काबा में आवाज़ के साथ क़ुरआन भी नहीं पढ़ सकते थे। इसलिए नुबूवत के पांचवें वर्ष में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कुछ सहाबा को हब्श की ओर हिजरत (पलायन) कर जाने का आदेश दिया।

हब्श पूर्वी अफ़्रीक़ा स्थित एक देश है, जिसका वर्तमान नाम इरिटेरिया है। मक्का वालों का हब्श के साथ पुराना व्यापारिक सम्बन्ध था, वे वहां के हालात को अच्छी तरह जानते थे। अरब में हब्श के शासक नजाशी की न्यायप्रियता की बड़ी चर्चा थी। हिजरत का निर्णय अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने इसलिए भी लिया कि इस तरह हब्श में भी इस्लाम के पहुंचने की संभावना थी। अतः ईमान लाने वाले ग्यारह पुरुष और चार महिलाएं रात के अंधेरे में मक्का के बहुदेववादियों से छुपकर निकल गये।

संयोग से बन्दरगाह पर पहुंचते ही उन्हें हब्श जाने वाला एक व्यापारिक जहाज़ मिल गया और वे उसपर चढ़ गये। मक्का वालों को पता चला तो वे उनके पीछे आये, लेकिन तब तक जहाज़ दूर जा चुका था। मुसलमानों ने हब्श पहुंच कर चैन का सांस लिया।

इधर मक्का में मुसलमानों पर अत्याचार और बढ़ गया। ऐसे मुसलमानों को ख़ासतौर से निशाना बनाया जाने लगा, जिनके परिवार के कुछ लोग हब्श चले गये थे और वहां बड़े आराम से थे। ऐसे हालात में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने सहाबा को फिर हिजरत की सलाह दी। हालांकि अब मक्का से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था फिर भी बयासी पुरुष और अट्ठारह महिलाओं का एक जत्था मक्का से निकल कर हब्श पहुंचने में कामयाब हो गया।

जब क़ुरैश को पता चला कि मुसलमान अपनी जान और अपना दीन बचाकर एक ऐसी जगह चले गये हैं जहां उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वे आग-बबूला हो उठे और उन्होंने अपने दो बहुत ही चालाक कूटनीतिज्ञों को बहुत से उपहार लेकर हब्श रवाना किया। इन दोनों ने हब्श जाकर पहले दरबारी पादरियों को उपहार देकर अपना सहयोगी बनाया, फिर बहुत से बहुमूल्य उपहार लेकर नजाशी के दरबार में हाज़िर हुए और बोले : ऐ बादशाह! हमारे कुछ नासमझ नवजवान भागकर आपके देश में आ गये हैं। उन्होंने अपना पैतृक धर्म छोड़ दिया है, लेकिन आपका धर्म भी नहीं अपनाया है, बल्कि एक नया धर्म गढ़ लिया है। इनके परिजनों ने हमें आपके पास भेजा है कि आप इन्हें हमारे साथ वापस भेज दें। पादरियों ने भी इनकी हां में हां मिलायी और बादशाह से कहने लगे कि आप मुसलमानों को इनके हवाले कर दीजिए।

नजाशी चूंकि स्वाभाविक रूप से एक ईमानदार और न्यायप्रिय राजा था और ईसाइयत का अच्छा विद्वान था,

अतः उसने उचित समझा कि दूसरे पक्ष की बात भी सुनी जाए। मुसलमान बुलाये गये जिनके प्रतिनिधि हज़रत अली के भाई हज़रत जाफ़र थे। नजाशी ने उनसे पूछा कि वह कौन-सा धर्म है, जिनके आधार पर तुम लोगों ने अपनी क़ौम को भी छोड़ दिया है?

उस समय तक क़ुरआन का बहुत थोड़ा हिस्सा ही अवतरित हुआ था, लेकिन यह हज़रत जाफ़र की अपनी सूझ-बूझ और नबी (सल्ल०) के प्रशिक्षण का असर था कि उन्होंने नजाशी को बहुत तार्किक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ऐ बादशाह! हम ऐसी क़ौम थे जो अंधकार में डूबी हुई थी। हम मूर्तियां पूजते थे, मुर्दार खाते थे और दुष्कर्म करते थे, सगे-संबंधियों से अलग हो जाते थे, पड़ोसियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे और हममें जो शक्तिशाली था वह कमज़ोरों को दबा रहा था। लेकिन अल्लाह ने हमपर दया की और हममें से एक आदमी को अपना रसूल बनाया। उसकी सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता हमारे बीच जानी-मानी थी।

अल्लाह के रसूल ने हमें अल्लाह की ओर बुलाया और समझाया कि केवल अल्लाह को मानें, उसी की इबादत करें और जिन पत्थरों और मूर्तियों को हमारे पूर्वज पूजते थे उन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलने, ईमानदारी अपनाने, सम्बंधों को जोड़ने और लड़ाई-झगड़े छोड़ देने का आदेश दिया। उसने हमें अश्लीलता में डूबे रहने, झूठ बोलने, अनाथ का माल खाने और महिलाओं पर झूठा लांछन लगाने से मना किया। उसने हमें यह भी आदेश दिया कि हम केवल अल्लाह की इबादत करें उसके साथ किसी को साझा न बनाएं। हमने उस नबी को सच्चा माना और उसपर ईमान ले आए और उसके लाये हुए दीन पर चलने लगे। इसपर हमारे लोग हम से बिगड़ गये। हम पर अत्याचार करने और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए हमें यातनाएं देने लगे। वे हमारे दीन के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो गये तो हमने आपके देश में आकर शरण ले ली।

नजाशी हज़रत जाफ़र की बातों से प्रभावित हुआ। उसके मन में इस्लाम को जानने की इच्छा पैदा हुई। उसने पूछा कि वह नबी जो कुछ लाये हैं उसमें से कुछ तुम्हारे पास है, तो ज़रा मुझे भी सुनाओ। हज़रत जाफ़र ने सूरह मरयम की 40 आरंभिक आयतें पढ़कर सुनायीं। इन आयतों में हज़रत मरयम के पवित्र चरित्र का चित्रण है, यहूदियों द्वारा उनपर लगाये लांछन की व्याख्या है। ईसा (अलैहि०) के गर्भकाल से लेकर जन्म लेने तक और फिर मां की गोद से ही यहूदी धर्म और समाज के ठेकेदारों को उत्तर देने और स्वयं को अल्लाह का नबी बताने का वर्णन है। नजाशी ने जब अल्लाह का कलाम सुना तो बहुत रोया, यहां तक कि उसकी लम्बी और घनी दाढ़ी आंसुओं से भीग गयी। फिर उसने कहा यह कलाम और वह कलाम जो हज़रत ईसा लाये थे एक ही स्रोत से निकला हुआ है।

इसके बाद नजाशी ने दोनों क़ुरैशी कूटनीतिज्ञों को स्पष्ट कह दिया कि वे यहां से चले जाएं उनकी कोई चाल यहां नहीं चल सकती। लेकिन उनमें से एक ने दुस्साहस करके फिर एक चाल चली और कहा कि ऐ बादशाह! ये लोग हज़रत ईसा के बारे में एक 'बड़ी' बात कहते हैं। हालांकि वह बात सूरह मरयम में अभी नजाशी के सामने आ चुकी थी, लेकिन उसने उसे स्पष्ट करने के लिए फिर मुसलमानों से पूछा कि हज़रत ईसा मसीह के बारे में तुम्हारी अवधारणा क्या है?

इस पर हज़रत जाफ़र ने कहा : हम ईसा (अलैहि०) के बारे में वही बात कहते हैं, जो हमारे नबी पर अवतरित हुई है : यानी हज़रत ईसा अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल थे। वे रूह और उसका वह कलिमा थे जिसे अल्लाह ने कुंवारी पवित्र मरयम की ओर भेजा था।

नजाशी ने स्वयं निष्पक्ष होकर ईसाइयत का अध्ययन किया था, अतः वह जाफ़र की बातों से पूरी तरह सहमत हुआ, हालांकि दरबार के पादरियों ने इसपर आपत्ति जतायी। फिर नजाशी ने उन दोनों क़ुरैशी प्रतिनिधियों के उपहार लौटा दिये और उन्हें अपमानित कर देश से निकाल दिया। ■■

कान्ति मासिक के सभी पाठक

कृपया ध्यान दें!

अपना पूरा नाम : .....

पता : .....

पोस्ट ऑफिस : .....

डिस्ट्रिक्ट : .....स्टेट : .....पिन : .....

कांटेक्ट नंबर : .....

नीचे दिए गए व्हाट्सऐप नम्बर पर भेजने की मेहरबानी करें।

धन्यवाद!

व्हाट्सऐप नंबर : 98187 99223

नोट : अपना कांटेक्ट नंबर लिखना न भूलें।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) सबके शुभचिन्तक

ईश्वर के पैग़म्बरों और रसूलों का संदेश किसी एक जाति, नस्ल या धर्म तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी मानवता के लिए भलाई और कल्याण का साधन होता है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के आख़िरी रसूल हैं और ऐसी ही एक महान हस्ती हैं। उनकी शिक्षाएं और उनका व्यावहारिक जीवन इस बात की स्पष्ट गवाही देते हैं कि वे केवल मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की भलाई चाहने वाले थे।

क़ुरआन में बताया गया है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को "सारे जहानों के लिए रहमत" बनाकर भेजा गया।" (सूरा-21 अल-अंबिया, आयत-107) इसका मतलब यह है कि उनकी शिक्षाएं हर एक मनुष्य के लिए लाभदायक हैं। उन्होंने हमेशा इन्सान को इन्सान की हैसियत से देखा और उसके साथ सहानुभूति, न्याय और सम्मान का व्यवहार किया। उनकी भलाई के कुछ प्रमुख पहलू ये हैं :

1. मनुष्य को उसके (स्रष्टा) ख़ालिक़ से जोड़ना : हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने मनुष्य को यह संदेश दिया कि वह एक ख़ुदा को पहचाने और अपने जीवन को सच्चाई और इन्साफ़ के नियमों पर खड़ा करे। यह संदेश मनुष्य को वैचारिक और आध्यात्मिक आज़ादी देता है।

2. समानता और मानव बराबरी : हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने घोषणा की कि किसी अरब को किसी अजमी (जो अरब का न हो) पर और किसी अजमी को किसी अरब पर कोई श्रेष्ठता नहीं। असली श्रेष्ठता केवल अच्छे चरित्र और ईश्वर की आज्ञापालन के आधार पर है। यह शिक्षा मानव समानता का मज़बूत सिद्धांत प्रस्तुत करती है।

3. कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा : हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने अनाथों, अभावग्रस्त लोगों, ग़ुलामों और महिलाओं के अधिकारों पर विशेष ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए अधिक लाभदायक हो।

4. पड़ोसी और सामाजिक संबंधों का महत्व : हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार पर बहुत बल दिया और बताया कि एक अच्छा समाज आपसी सहयोग और सहानुभूति से बनता है।

5. ग़ैर-मुस्लिमों के साथ न्याय और सहिष्णुता: हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने अपने विरोधियों के साथ भी भलाई का व्यवहार किया। मक्का में कठोर अत्याचारों के बावजूद नबी ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि उनके सुधार की दुआ की।

6. क्षमा का उच्च उदाहरण : मक्का-विजय के अवसर पर आपने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने वर्षों तक आपको सताया था और कहा : "आज तुम पर कोई पकड़ नहीं।"

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाएं सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, दया और मानव सेवा पर आधारित हैं। यदि मनुष्य इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाए तो समाज अधिक शांतिपूर्ण और बेहतर बन सकता है। इसीलिए यह सच्चाई है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) केवल एक धार्मिक मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के सच्चे शुभचिंतक थे, और उनकी शिक्षाएं आज भी सभी के लिए भलाई और मार्गदर्शन का संदेश रखती हैं इसलिए हमें चाहिए कि हम पैग़म्बर साहब की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और उन्हें दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाएं सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, दया और मानव सेवा पर आधारित हैं। यदि मनुष्य इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाए तो समाज अधिक शांतिपूर्ण और बेहतर बन सकता है। इसीलिए यह सच्चाई है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) केवल एक धार्मिक मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के सच्चे शुभचिंतक थे, और उनकी शिक्षाएं आज भी सभी के लिए भलाई का संदेश देती हैं इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें। ■■

(An ISO 22000:2005 Certified Company)

OCEANS SECRET

INDIA'S LEADING CANNED FOOD BRAND

- TUNA
- SARDINES
- MACKEREL



www.oceanssecret.in | info@seahath.com | Follow Us: oceanssecret | SHOP ONLINE @ amazon

SEAHATH CANNING CO. Plot - 8, Margao Industrial Estate, Curtorim, GOA, INDIA - 403 709 **CUSTOMER CARE : 0832-2860412**

KANTI Monthly, New Delhi
July 2026
Posted on 20-21 June 2026
Published on 18 June 2026
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2024-26
Total Pages with Cover: 52

A Well Wisher

"समस्त सृष्टि ईश्वर का कुनबा (कुटुम्ब) है, अतः ईश्वर को अपने कुनबे में सबसे अधिक प्रिय वह व्यक्ति है जो उसके कुनबे के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करता है।"
(हदीस : बैहक़ी)

Jamaat-E-Islami Hind
Dhanbad, Jharkhand